रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 2016/चैत्र 23, 1938
No. 110] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 2016/ CHAITRA 23, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2016

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय : रूस के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "पोलीटेट्राफ्लोरोथिलीन या पीटीएफई" के आयात संबंधी पाटन-रोधी जांच की निर्णायक समीक्षा (एसएसआर)।

क. फा. सं. 15/2/2015-डीजीएडी.—पृष्ठभूमि

मूल जांच

1. यत: निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 22 जनवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 24/1/1998-डीजीएडी द्वारा रूस के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "पोलीटेट्राफ्लोरोथिलीन या पीटीएफई" (जिसे आगे संबद्ध वस्तुएं कहा गया है) के आयात संबंधी मूल पाटन-रोधी जांच की शुरूआत की थी। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 9 जून, 1999 की अधिसूचना संख्या 24/1/1998-डीजीएडी द्वारा रूस के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए थे। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 30 जून,1999 की अधिसूचना संख्या 83/99-सीमा शुल्क द्वारा रूस के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी की अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना, दिनांक 13 अक्टूबर, 1999 की अधिसूचना संख्या 21/1/1998-डीजीएडी के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क, दिनांक 30 दिसंबर, 1999 की अधिसूचना संख्या 141/99-सीमा शुल्क द्वारा लगाया गया था ।

प्रथम निर्णायक समीक्षा

2. और यत: हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटिड द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के आधार पर प्राधिकारी ने दिनांक 13 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या 15/6/2003-डीजीएडी द्वारा प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच (एसएसआर) शुरू की थी और दिनांक 7 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 15/6/2003-डीजीएडी द्वारा पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर लागू रखे जाने की सिफारिश की थी, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 18 नवंबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 110/2004-सीमा शुल्क द्वारा द्वारा लगाया गया था।

द्वितीय निर्णायक समीक्षा

3. यत: गुजरात फ्लूरोकार्बन्स लिमिटिड द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के आधार पर प्राधिकारी ने दिनांक 27 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या 15/30/2008-डीजीएडी द्वारा द्वितीय निर्णायक समीक्षा जांच (एसएसआर) शुरू की थी और दिनांक 26 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 15/30/2008-डीजीएडी द्वारा पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर लागू रखे जाने की सिफारिश की थी, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 3 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या 57/2010-सीमा शुल्क द्वारा द्वारा लगाया गया था।

तृतीय सतत निर्णायक समीक्षा

4. यत: गुजरात फ्लूरोकार्बन्स लिमिटिड (जिसे आगे "याचिकादाता" कहा गया है) ने प्राधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करके तृतीय निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने और रूस (जिसे आगे "संबद्ध देश" गया है) मूल की अथवा वहां से निर्यातित "पोलीटेट्राफ्लोरोथिलीन या पीपीई" (जिसे आगे पीटीपीई या संबद्ध वस्तुएं या विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के आयातों पर विद्यमान पाटन-रोधी शुल्क की अवधि को आगे बढाने का अनुरोध किया था। प्राधिकारी ने दिनांक 13 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 15/2/2015-डीजीएडी द्वारा तृतीय निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की है।

अन्य संबद्ध पाटन-रोधी जांच

5. रूस पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने के अतिरिक्त चीन जनवादी गणराज्य से आयातित संबद्ध वस्तुओं पर भी वर्ष 2005 से पाटन-रोधी शुल्क लग रहा है।

ख. क्रिया-विधि

6. प्राधिकारी ने इस जांच के संबंध में निम्नोक्त क्रिया-विधि का अनुसरण किया है :-

(1) प्राधिकारी को रूस से पीटीएफई के आयातों पर लागू शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने के लिए गुजरात फ्लूरोकार्बन्स लिमिटिड से निर्णायक समीक्षा जांच संबंधी विधिवत अधिप्रमाणित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

(2) याचिकादाता ने इस संबंध में प्रथम दृष्टया प्रमाण प्रस्तुत किए है और लागू पाटन-रोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे निरंतर जारी रखने का अनुरोध किया है।

(3) प्राधिकारी ने नई दिल्ली में स्थित रूस के दूतावास को यह सूचित किया है कि उसे रूस के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरूद्ध निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए घरेलू उद्योग से याचिका प्राप्त हुई है।

(4) प्राधिकारी ने ऐसी जांच की शुरूआत को यथोचित ठहराने के लिए याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया प्रमाणों के आधार पर दिनांक 13 अप्रैल, 2015 से रूस के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के खिलाफ निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत की है।

(5) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 13 अप्रैल, 2015 की जांच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेज दी थी और उनसे अनुरोध किया था कि वे जांच शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने लिखित विचारों से उन्हें अवगत करा दें।

(6) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार आवेदन पत्र के अगोपनीय वृतान्त की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों तथा भारत में रूस के दूतावास को भेज दी थी।

(7) ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत कर दें तथा अपने विचारों से अवगत करा दें। निर्यातकों को प्रेषित किए गए पत्र और प्रश्नावली की प्रतियां संबद्ध देश के दूतावास को ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची सहित इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वह संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों को यह सलाह दें कि वे अपने उत्तर निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत कर दें।

(8) नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार भारत में रूस के दूतावास को निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के बारे में सूचित कर दिया गया था तथा उनसे अनुरोध किया गया था कि वे रूस से निर्यातकों/उत्पादकों को यह सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने उत्तर प्रस्तुत कर दें। निर्यातकों को प्रेषित किए गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति, ज्ञात संबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ रूस के दूतावास को भी भेजी गई थी।

(9) नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए रूस में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक की प्रश्नावलियां भेजी गई थीं :-

- ओएओ हेलो पोलीमर
- हरास्ट लिमिटिड
- जेमपैक इंटरप्राईजिज लिमिटिड
- किरोवो-चेपेटस्की ख्मिचेक्सी

(10) संबद्ध जांच की शुरूआत करने के संबंध में संबद्ध देश से केवल ओएओ हेलो पोलीमर ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करके अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं।

(11) प्राधिकारी ने नियमावली के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/एसोसिएशनों को आयातक की प्रश्नावलियां भेजी थीं :-

क्र. सं.	आयातक/प्रयोक्ता/एसोसिएशन	क्र.सं	आयातक/प्रयोक्ता/एसोसिएशन	क्र.सं	आयातक/प्रयोक्ता/एसोसिएशन
1	मेरठ पीटीईएफ प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटिड	2	मकैनिकल पैकेजिंग इंडस्ट्रीज	3	पौली फ्लूरो प्रॉडक्ट्स
4	ट्रीस्टार इलेक्ट्रोनिक्स	5	माच पालीमर्स	6	हिंदुस्तान पालीमर्स
7	टॉक एंड एसोसिएट्स (प्रा.) लि.	8	टी एंड एफॅं इंसुलेशन्स प्राईवेट लिमिटिड	9	कनन पॉलीमर्स
10	ई.आई डयूपोंट इंडिया प्राईवेट लिमिटिड	11	गाजियाबाद फलोपोल इंसुलेशन्स प्राईवेट लिमिटिड	12	टेफकोट केबल कंपनी
13	टी एंड एफ इंशुलेशन्स (प्राईवेट) लिमिटिड	14	सांघवी टेकनो प्रोडक्ट्स	15	इलैक्ट्रोपॉलीमर्स
16	सांघवी प्रोडक्ट्स	17	डिप फ्लोन इंजीनियरिंग एंड कंपनी	18	फ्लूरो कार्बन सील्स
19	यू. गोयन्का एंड सन्स लिमिटिड	20	जय हिन्द पोलीमर्स	21	एस.एन. इंटरप्राइजेज
22	प्रगति इंटरनेशनल	23	धावनी पोलीमर इंडस्ट्रीज	24	प्रीसीजन पॉलीमर इंडस्ट्रीज
25	वीनस इंडस्ट्रीज	26	अफ्लोन इंजीनियरिंग कापेरिशन	27	सारासन्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज
28	सुप्रीमो पोलीमर इंडस्ट्रीज	29	पैकलोन इंडस्ट्रीज	30	फलूरोफलोन इंडस्ट्रीज
31	गुरानीफलोन इंडिया प्राईवेट लिमिटिड	32	अंगना इंटरनेशनल	33	विमल पोलीमर इंडस्ट्रीज

34	टी कोटिंग इंडस्ट्रीज	35	गोडनीफ्लोन इंडिया प्राईवेट लिमिटिड	36	ट्रेफ्लोन पोलीमरइंडस्ट्रीज
37	प्रगति प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटिड	38	फ्लूरोप्लास इंडस्ट्रीज	39	डायन्मिक(जीएलएस)इंडस्ट्रीज
40	ओटोमेट इंडस्ट्रीज	41	ऑटोमेट इंडस्ट्रीज	42	पीटीईएफ रबड वर्कस
43	डिप फ्लोन इंजीनियरिंग कंपनी	44	सांघवी टेकनो प्रोडक्ट्स	45	मेकेनिकल सील्स एंड पेकेजिंग
46	प्लास्टिक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी	47	गणेश फलोन	48	एपेक्स पोलीमर्स
49	कोरोस्सियन इंजीनियर्स	50	जीएमए पी. फोंडलर लिमिटिड	51	मॉडम इंटरनेशनल कार्पोरेशन
52	टीएफई कोटिंग इंडस्ट्रीज	53	एक्यूरेट पैकेजिंग एंड सील्स	54	जे. के. पोलीमर इंडस्ट्रीज
55	वी. बी. इंडस्ट्रीज	56	नेशनल फ्लोमर्स	57	गेलेक्सी थर्मोप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
58	वी. वी. फ्लोरो प्रोडक्ट्स	59	नियो वायरस एंड एलाईड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटिड	60	मोर फ्लोन इंडस्ट्रीज
61	एस. इंडस्ट्रीज	62	त्रिमूर्ति पोलीमर्स	63	पोलीमर्स
64	किरण इंजीनियरिंग	65	इगाट्विन पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटिड	66	गर्ग साईंटिफिक इंस्टरूमेंट्स
67	आशीष डाईज एंड मोल्ड्स	68	श्रृद्धा पोलीमरइंडस्ट्रीज	69	श्याम पोलीमर्स
70	फ्लूरो-टेक इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटिड	71	ट्रेल्लेबोर्ग सीलिंग सॉलूशन्स	72	बाबूजी इलेक्ट्रोनिक्स एंड केमिकल्स
73	मास्क सील्स कंपनी	74	रोल्लन बीयरिंग्स प्राईवेट लिमिटिड	75	फ्लूकोन पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटिड
76	सनफ्लोन इंडस्ट्रीज	77	विशन पोलीमर्स	78	फ्लूरोक्राफ्ट प्राईवेट लिमिटिड
79	आरती इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स	80	एच आई एल पोलीमर्स	81	इंडोफेब इंजीनियर्स
82	केदार पोलीमर्स	83	रसाली फलो लाईन्स	84	पीकेएन केप्स एंड पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटिड
85	फ्लूरो इंटरप्राईजिज प्राईवेट लिमिटिड	86	फलोरोथर्म इंडस्ट्री	87	कर्नाटक पोलीमर
88	बाफना इंडस्ट्रियल स्टोर्स	89	क्सोमोक्स संसार लिमिटिड	90	एमआई एल इंडस्ट्रीज लिमिटिड
91	इंडस्ट्रियल स्पेयर्स मेन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी	92	हिन्दुस्तान नायलोन्स	93	पोली फ्लूरो लिमिटिड
94	फाईनर इंटरप्राईजिज प्राईवेट लिमिटिड	95	स्पेयरेज इंडिया लिमिटिड	96	सिलफ्लोन पोलीमर्स
97	श्री जी फ्लोरो पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटिड				

(12) उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में मेसज एमआईएल इंडस्ट्रीज लिमिटिड, मेसर्ज नियो वायरस एंड एलाईड प्रोडक्टस लिमिटिड, मेसर्ज लोल्लन बीयरिंग्स प्राईवेट लिमिटिड, मेसर्ज फ्ल्यूरो टेक इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटिड और मेसर्ज त्रिमूर्ति पोलीमर्स ने अपने निवेदनों में यह सूचित किया है कि वे संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात नहीं कर रहे हैं। मेसर्ज गुयारनीफ्लोन इंडिया लिमिटिड (जीआईपीएल) द्वारा प्रस्तुत किए गए आयातक प्रश्नावली के उत्तरों में यह बताया है कि उसने जांच अवधि में तथा विगत वर्षों में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात किए हैं।

(13) जिन निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को अपने उत्तर प्रस्तुत नहीं किए है और जिन्होंने इस जांच से संबद्ध कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है, उन्हें असहयोगी माना गया है।

(14) पाटन-रोधी शुल्क नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 2 फरवरी, 2016 को हुई मौखिक सुनवाई के दौरान अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया था। इस मौखिक सुनवाई में जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखित रूप से अपने विचार व्यक्त किए थे उन्हें सलाह दी गई थी कि वे अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें । प्राधिकारी ने पक्षकारों से प्राप्त हुए निवेदनों पर उचित रूप से विचार

किया है । 2 फरवरी, 2016 को हुई मौखिक सुनवाई में मेसर्ज जीआईपीएल ने भाग नहीं लिया था, लेकिन उसे दिनांक 19 फरवरी, 2016 को हुई मौखिक सुनवाई में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया था ।

(15) जितना आवश्यक समझा गया था, आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी ।

(16) आयातों की मात्रा और मूल्य तथा क्षति का विश्लेषण करने के लिए जांच की अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए महानिदेशक, वाणिज्यिक सूचना और सांख्यिकीय (डीजीसीआईएंडएस) से प्राप्त किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरों के आंकडों पर विश्वास किया गया है ।

(17) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की अनुकूलतम लागत और निर्माण की लागत तथा बिक्री की लागत का आकलन, सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएपीपी) के आधार पर किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटन-रोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा । पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अतर्गत निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार प्राधिकारी द्वारा एनआईपी का निर्धारण किया गया है ।

(18) वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ इस जांच की अवधि अकटूबर, 2013 से सितंबर, 2014 तक है और क्षति की जांच अवधि में वर्ष 2010 –11, 2011-12, 2012-13 और जांच की अवधि (पीओआई) भी शामिल है ।

(19) जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को जहां कभी भी प्रासंगिक पाया गया है, उन पर इस परिणाम में विचार किया गया है ।

(20) घरेलू उद्योग और साथ ही सहयोगी आयातक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और आंकडों के संबंध में जितना आवश्यक समझा गया था, उनकी उतनी जांच की गई है ।

(21) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की प्राधिकारी द्वारा उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है । प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक समझा है, संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है तथा उसे गोपनीय सूचना माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों प्रकट नहीं किया है । जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय वृतान्त प्रदान करें ।

(22) जहां कर्ही भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना का अभिगमन करने अथवा उसे अन्यथा प्रदान नहीं करने से मनाही की है अथवा जांच में विशेष रूप से अडचन पैदा की है, प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर परिणामों को दर्ज किया है ।

(23) प्रकटन विवरण 31.03.2016 को जारी कर दिया गया था और इस प्रकटन पर टिप्पणियां 05.4.2016 तक आमंत्रित की गई हैं । प्रकटीकरण के लिए टिप्पणियों पर समुचित ध्यान दिया गया है ।

(24) *** हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का परिचायक है और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा उसे गोपनीय माना गया है ।

(25) इस परिणाम में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई औसत विनिमय दर 1 अमरीकी डालर = 61.65 रुपए है ।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

<u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन</u>

7. विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:—

(क) वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद "पोलीटेट्राफ्लोरोथिलीन" है जिसे बाजार में "पीटीएफई" के नाम से भी जाना जाता है और जो रूस के मूल की अथवा वहां से निर्यातित है । पीटीएफई का उत्पादन विभिन्न ग्रेडों में किया जाता है, जैसे कि मोल्डिंग ग्रेड, फाईन पाउडर, ओक्यिस डिस्पर्सन और फिल्ड ग्रेड्स के कम्पाउंड ग्रेड । विगत मामले में शामिल किए गए सभी ग्रेड और वर्तमान शुल्क वर्तमान समीक्षा के दायरे के भीतर है । पीटीएफई का मुख्यतया उपयोग

इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक, मेकेनिकल और रासायनिक उद्योगों में उसकी विशिष्ट विशेषताओं के कारण किया जाता है, जैसे कि रसायनिक इनर्टनेस, इलेक्ट्रिकल और थर्मल इंसुलेशन, लो कोएफीसियेंट आफ फ्रेक्शन, नॉन-टॉक्सिक, नॉन-फ्लेमेबल, रेडिएशन प्रतिरोधी, स्टेटिक का निम्न स्तर और डायमनि फ्रेक्शन तथा व्यापक फ्रीक्वेंसी सीमा में विशिष्ट विद्युतीय गुण क्षमताएं।

(ख) पोलीटेट्राफ्लोरोथिलीन (पीटीएफई) को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत उप-शीर्ष 390461 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा-शुल्क का ऐसा वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से इस जांच के कार्य-क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

(ग) घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित की जा रही वस्तुएं तथा संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुएं उनके भौतिक और रासायनिक लक्षणों, विनिर्माण प्रकिया और प्रोद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों जैसी विशेषताओं, कीमत, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से समान वस्तुएं हैं। उपभोक्ता उनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं।

(घ) उसके द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं पाटन-रोधी नियमावली में उल्लिखित परिभाषा के भीतर समान वस्तुएं हैं।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

8. विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई निवेदन नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब कि घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेड विनिर्मित किए जाते हैं, जांच अवधि के दौरान रूस से आयात एक विभिन्न ग्रेड (4 आरबी) के हुए हैं जो कि मेसर्ज जीआईपीएल, आयातक द्वारा किए गए हैं और मेसर्ज ओएओ हेलो पोलीमर, उत्पादक द्वारा विनिर्मित किए गए हैं। "क्षति" और "मार्जिन" का मूल्यांकन करने के लिए उनकी तुलना अलग-अलग ग्रेड के आधार पर की जाती है ताकि उपयुक्त "वस्तु दर वस्तु" की उचित तुलना सुनिश्चित की जा सके। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक निर्णाय समीक्षा जांच है और करने के लिए प्राधिकारी द्वारा परिभाषित किए गए विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा और कार्य-क्षेत्र में से किसी भी विशिष्ट ग्रेड को बाहर निकालने/शामिल करने के लिए किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई खंडन नहीं किया गया है, विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र को वही रखा गया है जो कि विगत अंतिम जांच परिणाम के समय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचारित किया गया था।

विचाराधीन उत्पाद और "समान वस्तु"

"5. वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद, "पोलीटेट्राफ्लोरोथिलीन (जिसे पीटीएफई भी कहा जाता है) है जो कि रूस के मूल का है अथवा वहां से आयातित किया जाता है। पीटीएफई का उत्पादन विभिन्न ग्रेडों में किया जाता है, जैसे कि मोल्डिंग ग्रेड, फाईन पाउडर, ओक्यिस डिस्पर्सन और फिल्ड ग्रेड्स के कम्पाउंड ग्रेड। विगत मामले में शामिल किए गए सभी ग्रेड और वर्तमान शुल्क वर्तमान समीक्षा के दायरे के भीतर है। पीटीएफई का मुख्यतया उपयोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक, मेकेनिकल और रासायनिक उद्योगों में उसकी विशिष्ट विशेषताओं के कारण किया जाता है, जैसे कि रासायनिक इनर्टनेस, इलेक्ट्रिकल और थर्मल इंसुलेशन, लो कोएफीसियेंट आफ फ्रेक्शन, नॉन-टॉक्सिक, नॉन-फ्लेमेबल, रेडिएशन रोधी, स्टेटिक का निम्न स्तर और डायमनिक फ्रेक्शन तथा व्यापक फ्रीक्वेंसी सीमा में विशिष्ट विद्युतीय गुण क्षमताएं।

6. पोलीटेट्राफ्लोरोथिलीन (पीटीएफई) को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत उप-शीर्ष संख्या 39046100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा-शुल्क का ऐसी वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से इस जांच के कार्य-क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

10. प्राधिकारी द्वारा पहले की गई सिफारिशों के आधार पर "पीटीएफई" पर लागू पाटन-रोधी शुल्क लगाया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिका पाटन-रोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसको निरंतर जारी रखे जाने के लिए है तथा समान वस्तु के मुद्दे का निदान पहले से ही मूल जांच में कर दिया गया है।

11. संबद्ध वस्तुएं सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत उप-शीर्ष संख्या 39046100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है । तथापि, सीमा-शुल्क का ऐसी वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से इस जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

12. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

13. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसके द्वारा निर्मित की जा रहीं संबद्ध वस्तुएं भारत में आयात की जा रहे विचाराधीन उत्पाद के समान हैं । घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि याचिकादाता और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद उनके भौतिक और रासायनिक लक्षणों, विनिर्माण प्रकिया और प्रोद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के साथ एक दूसरे की तुलनीय हैं । याचिकादाता आवेदक द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है और ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं ।

14. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्राधिकारी का यह मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं एक समान वस्तुएं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद, उनके भौतिक और रासायनिक लक्षणों, विनिर्माण प्रकिया और प्रोद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के साथ एक दूसरे की तुलनीय हैं । साथ ही यह भी नोट किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विगत जांच में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के मुद्दे की जांच की है, जिस पर विश्वास किया जाता है । इसलिए प्राधिकारी का यह मानना है कि नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और संबद्ध देश से आयातित वस्तुएं समान वस्तुएं हैं । ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं । उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त कर रहे हैं और ये पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में उल्लिखित परिभाषा और कार्य-क्षेत्र के भीतर समान वस्तुएं हैं ।

घ. घरेलू उद्योग और उसका आधार

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

15. घरेलू उद्योग और उसके आधार के संबंध घरेलू उद्योग द्वारा में किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

(क) यह याचिका गुजरात फ्लूरोकार्बन्स लिमिटिड द्वारा दायर की गई है । याचिकादाता भारत में संबद्ध वस्तुओं का प्रमुख उत्पादक है । उसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटिड नामक एक और कंपनी है जो कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करती है । तथापि, याचिकादाता, जीएफएल द्वारा संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन, जांच अवधि में घरेलू उत्पादन का लगभग 98 प्रतिशत बनता है । याचिकादाता पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करता है और उसका मौजूदा याचिका दायर करने का आधार है तथा इसमें भाग लेने वाली कंपनियां नियमावली की परिभाषा के भीतर "घरेलू उद्योग" बनाती हैं ।

(ख) घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयात नहीं किए हैं । साथ ही घरेलू उद्योग (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से) संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक से अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है ।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

16. घरेलू उद्योग के क्षेत्राधिकार और उसके आधार के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई निवेदन नहीं किया है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

17. पाटन रोधी नियमावली का नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है"।

18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुजरात फ्लूरोकार्बन्स लिमिटिड ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं किया है और न ही यह कंपनी संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित है।

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकादाता नियमावली के अतर्गत घरेलू उद्योग के आधार की आवश्यकता को पूरा करता है और वह घरेलू उद्योग बनता है, क्योंकि याचिकादाता कंपनी का उत्पादन, कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 98 प्रतिशत है। इसलिए प्राधिकारी का यह मानना है कि गुजरात फ्लूरोकार्बन्स लिमिटिड उपरोक्त नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार घरेलू उद्योग बनती है।

ङ. गोपनीयता

20. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच की है और गोपनीयता के दावों के संबंध में संतुष्ट होने पर उसकी अनुमति दी है।

च. विविध मुद्दे

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

21. विभिन्न मुद्दों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(क) गुरानीफ्लोन इंडिया लिमिटिड (जीआईपीएल) जो कि गुजरात फ्लूरोकार्बन्स लिमिटिड से पीटीएफई की प्रमुख अधिप्राप्त कर्ता है, पीटीएफई को स्थानीय रूप से अधिप्राप्त करने की इच्छुक होगी बशर्ते कि इनकी कीमतें प्रतिस्पर्द्धी और उपयुक्त गुणवत्ता युक्त हों। चाहे अंतर्राष्ट्रीय अथवा घरेलू उद्योग क्यों नहीं हो, प्रत्येक व्यवसायिक निर्णय में कीमत एक प्रमुख निर्धारक होती है, विशेषकर पीटीएफई जैसी वस्तुओं के क्षेत्र में जिसकी कीमतों में इस समय गिरावट दृष्टिगत हो रही है।

(ख) घरेलू विनिर्माता एक बहु-उत्पाद कंपनी है और कुल घरेलू उत्पादन में उसका उत्पादन लगभग 98 प्रतिशत होता है। इसलिए पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाना विनिर्माता की चिंता प्रतीत होता है और साथ ही एक उत्पाद को ही वित्तीय व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

(ग) पाटन-रोधी शुल्क को बनाए रखे जाने से भारत में पीटीएफई के बाजार के विकास अवरूद्ध होगा। इस समय पाटन-रोधी शुल्क, रूसी रेसिन के प्रति कि.ग्रा. पर अमरीकी डालर 3.46 है। इसकी अधिप्राप्ति की लागत लगभग अमरीकी डालर 4.50 प्रति कि.ग्रा. है। इसलिए पाटन-रोधी शुल्क वास्तविक लागत का लगभग 77 प्रतिशत है और इसको उचित ठहराया जाना कठिन है।

(घ) जीआईपीएल उसके कारोबार की प्रकृति के कारण माने गए निर्यातों का कोई भी लाभ प्राप्त करने की उपयुक्त पात्र नहीं है। यह घरेलू टैरिफ क्षेत्रों में प्रचालन कार्य करती है। इसकी बिक्रियों में सीधे निर्यात और स्थानीय बिक्रियां शामिल हैं। इसने ऐसे उत्पाद को एसईजेड की कंपनी अथवा किसी ऐसी अन्य परियोजना को नहीं बेचा है जिसे निर्यात का दर्जा प्राप्त माना गया है।

(ङ) अप्रैल, 2013 और दिसंबर, 2014 के बीच जीआईपीएल ने एक सहयोगी उद्यम इंडस्ट्रियल प्लास्टिक्स एंड मशीन से पीटीएफई रेसिन की अधिप्राप्ति की थी। हेलो पोलीमर ने आर्कषक कीमतों की पेशकश की थी लेकिन उसने अग्रिम भुगतान करने की मांग की थी। इसलिए आईपीएम ने अपनी आपूर्ति और जीआईपीएल के लिए संविदा की थी। हेलो पोलीमर ने आईपीएम पर बीजक बनाया था और पीटीएफई को सीधे जीआईपीएल को भेज दिया था। जीआईपीएल आईपीएम से से ऋण अवधि से लाभान्वित हो रही थी और उसने 90/180 दिनों में उसे भुगतान कर दिया था। मार्च, 2015 से हेलो पोलीमर ने जीआईपीएल को सीधे आपूर्ति करनी शुरू कर दी थी और इस समय लदान के बिल की तारीख से 50 दिनों के भीतर भुगतान किया जा रहा है।

(च) हेलो पोलीमर का संयंत्र अपेक्षाकृत पुराना है और कुछ समय से पोलीमर के संसाधन का कार्य सुस्थिर किया गया है। गुणवत्ता की दृष्टि से उसके उत्पादों के विभिन्न बैच सुसंगत हैं। जीपीआईएल जीएफएल से पर्याप्त मात्रा में खरीदारी करती है और उसने यह पाया है कि समय-समय पर उत्पाद उत्पाद के विभिन्न बैचों की गुणवत्ता में असंगति होती है। साथ ही रासायनिक मिश्रण में 4 आर बी और इनफ्लोन 610 एक समान होते हैं लेकिन असंगति के कारण 4 आर बी रेसिन को बेहतर कोटि का माना जाता है। इसलिए में 4 आर बी और इनफ्लोन 610 के बीच कीमत समान अंतर होना चाहिए। जीआईपीएल के अधिकतर निर्यात यूरोप और संयुक्त राज्य अमरीका को किए जाते हैं, जहां उपभोक्ताओं ने 4 आरबी आधारित उत्पादों को अत्यंत संतोषजनक पाया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एकल प्रतिवादी आयातक ने भी यह तर्क दिया है कि उत्पाद के आयातों की वस्तुओं में कीमत प्रतिस्पर्द्धात्मकता और गुणवत्ता विद्यमान होने के परिणाम स्वरूप आयात होते हैं तथा वस्तुओं को अधिप्राप्त करने में उनकी कीमत की मुख्य भूमिका होती है। इसलिए प्राधिकारी ने इसकी जांच कि है कि यदि पाटित कीमतों से कम कीमत पर आयात होते हैं और उससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना रहती है, तो ऐसी स्थिति में पाटन-रोधी को निरंतर जारी रखा जा सकता है। प्राधिकारी ने तुलना के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद के तुलनीय ग्रेडों के बीच तुलना की है।

(छ) **सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन**

सामान्य मूल्य

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

23. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

(क) रूस के घरेलू बाजारों में संबद्ध उत्पाद की कीमत के प्रमाण प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। साथ ही प्रकाशित स्रोतों से भी कीमत के प्रमाण प्राप्त करने के प्रयास भी किए गए थे। लेकिन वहां ऐसा कोई प्रकाशन नहीं है जो कि रूस में विचाराधीन उत्पाद की कीमतें प्रदान कर सकें। उत्पाद की कीमतें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) कीमतों संबंधी कारोबार उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच किया जाता है और इसलिए वे सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार रूस के घरेलू बाजारों में पीपीएफई की वास्तविक कारोबार-बिक्री कीमत के बारे में प्रकाशित स्रोतों से कोई उचित, प्रमाणित और सही सूचना प्राप्त नहीं की जा सकी है। इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन की लागत के अनुमान के आधार पर किया गया है, जिसके लिए बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ का उचित समायोजन किया गया है।

निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

24. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

(क) हेलो पोलीमर ने कारखाना-गत स्तर के कीमत के ब्यौरे दिए हैं जिन पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा विश्वास किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने आयातित वस्तुओं की सीआईएफ मूल्य पर भी विचार किया है और इसलिए भाडे और अन्य मार्जिन को बाहर कर दिया जाना चाहिए। तथापि, यह मानक प्रक्रिया है कि पहुंच कीमत का अनुमान लगाने के लिए सीआईएफ मूल्य को स्वीकार किया जाए और निर्धारण करने के प्रत्येक मामले में एफओबी मूल्य को परिकलित नहीं किया जाए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

25. अधिनियम, की धारा 9 क (1) (ग) के अंतर्गत सामान्य मूल्य को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

"*(ग) किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" का तात्पर्य है:*

(1) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(2) जब निर्यातिक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातिक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातिक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत :

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से हो कर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा "।

रूस में सभी उत्पादकों/निर्यातकों (जिनमें मेसर्ज ओएओ हेलो पोलीमर शामिल है) का सामान्य मूल्य

मेसर्ज ओएओ हेलो पोलीमर ने संबद्ध वस्तुओं के एक उत्पादक के रूप में प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं लेकिन उसके सहयोगी निर्यातक नामत: मेसर्ज इंडस्ट्रियल प्लास्टिक्स, यूएसए ने प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के ग्रेड/ग्रेडों और उनके उत्पादन की लागत के ब्यौरे प्रदान किए हैं। ऐसा सूचित किया गया है कि रूस में उक्त ग्रेडों की कोई बिक्री नहीं की गई है। इसलिए प्राधिकारी ने उपरोक्त उत्पादक द्वारा उत्पादन की लागत के दावे को घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों के साथ संयोजित किया है और सामान्य मूल्य की संरचना की है। उत्पादक द्वारा प्रदान की गई उत्पादन की लागत सभी लागतों को समाहित करती है और दावा किए गए उत्पादन की लागत के 5 प्रतिशत लाभ के साथ उत्पादन की लागत को शामिल करके, संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य ***अमरीकी डालर/मी. टन बनता है। चूंकि किसी भी उत्पादक ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और साथ ही जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के समग्र निर्यात एक ही उत्पादक द्वारा किए गए हैं, इसलिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि उपरोक्त परिकलित सामान्य मूल्य को रूस से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अपनाए जाए।

रूस के सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

26. निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तरों में प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान मेसर्ज ओएओ हेलो पोलीमर ने ओएओ किरोवो-चेपस्की प्लांट में निर्मित संबद्ध वस्तुओं की ***मी.टन की कुल मात्रा के निर्यात भारत को किए थे, जिनका सकल मूल्य ***अमरीकी डालर है।

मेसर्ज जीआईपीएल ने प्रश्नावली के अपने उत्तर में यह भी सूचित किया है कि उसने मेसर्ज ओएओ हेलो पोलीमर द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं के 120 मी.टन आयात किए थे और बाकी आयात उसके बाद किए गए उसके निर्यात जांच अवधि से बाहर हैं। तथापि, जब बाकी आयातों के क्लीयरेंस की तारीख को डीजीसीआईएंडएस के आंकडों के साथ मिलाया गया तो ऐसा पता चला है कि वे जांच अवधि के भीतर किए गए हैं। इसलिए प्राधिकारी ने विशेष कर डीजीसीआईएंडएस के आंकडों के साथ मिलान किया है और नोट किया है कि डीजीसीआईएंडएस के आंकडों के अनुसार किए गए कुल आयात उत्पादक के आंकडों से मिलते हैं और इसलिए डीजीसीआईएंडएस के आंकडों को माना गया जिसके साथ घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए समायोजन के साथ-साथ उसकी तुलना, कारखाना-गत निर्यात कीमत का मूल्यांकन करने के लिए उत्पादक द्वारा प्रदत्त आंकडों के साथ भी किया गया।

27. प्राधिकारी ने उपरोक्त अनुसार जांच अवधि के दौरान डीजीसीआईएंडएस के आयातों संबंधी आंकडों के अनुसार रूस में निर्मित संबद्ध वस्तुओं के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में कारखाना-गत निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। डीजीसीआईएंडएस के आंकडों के अनुसार विचारित मात्रा और सीआईएफ कीमत 171.6 मी.टन और ***अमरीकी डालर/मी.टन है। समुद्री भाडे, सीआईएफ के 0.5% की दर से समुद्री बीमे, एफओबी के के 1 % की दर से अंतरदेशीय भाडे, एफओबी के 2 % की दर से कमीशन, एफओबी के 0.5 % की दर से पत्तन व्यय और एफओबी के 2 % की दर से बैंक प्रभार का समायोजन कियाग या है जो कि क्रमश: ***अमरीकी डालर/मी.टन, ***अमरीकी डालर/मी.टन, ***अमरीकी

डालर/मी.टन,***अमरीकी डालर/मी.टन, ***अमरीकी डालर/मी.टन और ***अमरीकी डालर/मी.टन है। तदनुसार उचित समायोजन करने के बाद रूस में विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं के सभी निर्यातों के संबंध में कारखाना-गत स्तर पर भारित औसत निबल निर्यात कीमत कीमत ***अमरीकी डालर प्रति मी. टन है।

पाटन मार्जिन

28. उपरोक्त अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों को ध्यान में रखते हुए पाटन मार्जिन निम्नानुसार है :-

विवरण	**यूनिट**	**रूस में सभीउत्पादक/ निर्यातक**
सामान्य मूल्य	अमरीकी डालर प्रति मी.टन	***
निर्यात कीमत	अमरीकी डालर प्रति मी.टन	***
पाटन मार्जिन	अमरीकी डालर प्रति मी.टन	***
पाटन मार्जिन	%	***
पाटन मार्जिन	% सीमा	100-150

<u>क्षति, कारणात्मक संबंध और क्षति के निरंतर बने रहने की संभावना का आकलन</u>

ज. <u>क्षति का निर्धारण करने की कार्य प्रणाली तथा क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच</u>

<u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन</u>

29. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

(क) भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत को घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के सकल योग के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रत्यक्ष खपत का पता लगाने के लिए भारतीय उत्पादक द्वारा किए गए निर्यातों को ऐसे परिकलन से बाहर रखा गया है। इस प्रकार से आकलित की गई मांग से पता चलता है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में समग्र क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।

(ख) समग्र क्षति अवधि में रूस के आयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

(ग) संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में हाल ही में पूर्णरूपेण वृद्धि हुई है।

(घ) क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग//प्रत्यक्ष खपत में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

(ङ) पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भी आयातों में वृद्धि हुई है। इन परिस्थितियों में और सकारात्मक कीमत अंतर को ध्यान में रखते हुए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने से आयातों स्पष्टतया अत्यधिक वृद्धि होगी।

(च) क्षति अवधि में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त पूर्णरूपेण आयात अत्यधिक प्रतीत होते हैं।

(छ) पाटन की संभावना से संबद्ध कारक क्षति होने की संभावना के साथ-साथ वर्तमान मामले के प्रासंगिक हैं और उन पर विश्वास किया जाता है।

(ज) पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भी पाटित कीमतों पर घरेलू बाजार में आयात किए गए हैं।

(झ) संबद्ध देश के उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमता विद्यमान है जिससे यह स्थापित होता है कि शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने पर भी भारत को निर्यातों में सघन वृद्धि होगी।

(ञ) संबद्ध देश से निर्यातक पाटित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद के निर्यात तृतीय देशों को कर रहे हैं।

(ट) रूस से तृतीय देशों को निर्यातों के मामले में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक है।

(ठ) वर्तमान जांच अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों सकारात्मक और अत्यधिक है।

(ड) प्रचलित पाटन-रोधी शुल्कों के बिना कीमतों में कटौती सकारात्मक है।

(ढ) आयात की कीमतें वास्तविक रूप से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से कम हैं। इसलिए उपभोक्ता पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में आयातित उत्पादों की ओर उन्मुख होंगे जिसके फलस्वरूप उत्पाद के आयातों में अत्यधिक वृद्धि होगी।

(ण) घरेलू उद्योग पहले ही पाटित आयात कीमतों के कारण कीमत में ह्रास होने नुकसान उठा रहा है। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटित कीमतों से प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए बिक्रियों की लागत से भी कम अपनी बिक्री कीमतों में और कटौती करनी होगी जिसके फलस्वरूप उसे घोर कीमत क्षति होगी।

(त) पीटीएफई से संबंधित विभिन्न जांच में पाटन-रोधी शुल्क निम्नानुसार था :-

(1) प्रथम/मूल जांच में – 5.20 रूपए प्रति कि.ग्रा.

(2) प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में – 12.66 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. मानक के रूप में।

(3) द्वितीय निर्णायक समीक्षा जांच में – 3.42 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा.

(थ) प्रथम मूल जांच के मामले में पाटन-रोधी शुल्क बहुत कम था। इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को वस्तुत: कोई संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में शुल्क मानक के आधार पर लगाया गया था और इसलिए यह शुल्क की समस्त अवधि के लिए व्यर्थ ही रहा। इस प्रकार 15 वर्ष की अवधि में से 10 वर्ष की अवधि व्यर्थ थी और केवल 5 वर्ष के लिए ही घरेलू उद्योग का संरक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान मामले से संबंधित तथ्यों से स्पष्ट पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में ऐसी संभावना है कि पाटन निरंतर बना रहेगा अथवा उसकी पुनरावृति होगी और घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

(द) इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें संयुक्त राज्य अमरीका ने पाटन-रोधी शुल्क लगाया है और जिनमें चतुर्थ निर्णायक समीक्षा जांच की गई है और संयुक्त राज्य अमरीका में काफी लंबे समय से पाटन-रोधी शुल्क लगा हुआ है।

(ध) क्षमता का विस्तार घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है। घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान अत्यधिक निर्यात किए हैं। किसी भी स्थिति में घरेलू उद्योग ने केवल देश में किए जा रहे आयातों से ही चिंतित नहीं है, बल्कि ऐसी कीमत से भी चिंतित है जिन कीमतों पर देश में ऐसे आयात किए जा रहे हैं। आयात कीमत में अत्यधिक गिरावट आई है।

(न) रूस के निर्यातकों के निर्यात भारतीय मांग का 5% भाग बनते हैं जिसे निर्णायक समीक्षा जांच के चरण में नगण्य नहीं माना जा सकता है। वास्तव में मूल जांच में भी इनकी मात्रा अत्यधिक थी। निर्णायक समीक्षा जांच के चरण में ऐसी सुस्पष्ट कानूनी स्थिति है कि निर्यात की मात्रा ही नहीं बल्कि आयात की कीमत भी संभावित विश्लेषण करने के लिए प्रासंगिक होती है।

(प) घरेलू उद्योग ने अपनी क्षति का घरेलू और निर्यातों में पृथकीकरण किया है। क्षति का दावा निष्पादन के संबंध में किया गया है।

निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

30. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

(क) वर्तमान जांच की जांच मुख्यतया वर्ष 1999 में शुरू की गई थी। तब से अब तक चार निर्णायक समीक्षा जांच की जा चुकी हैं और संबद्ध वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क निरंतर लगा हुआ है। लेकिन घरेलू उद्योग अब तक अपना पुनरूद्धार नहीं कर पाया है, जबकि संबद्ध देश से आयातों में गिरावट आई है, जो कि वर्ष 1999 में 334 मी.टन से घटकर वर्ष 2015 में 172 मी. टन रह गए हैं। इससे ऐसा पता चलता है कि रूस के निर्यातकों का भारत में कोई रूचि नहीं है और इसलिए दुबारा पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(ख) तकनीकी उत्पादन साहित्य के अनुसार संबद्ध वस्तुओं का ग्रेड आरबी 4 अंतिम/तैयार सामान्य प्रयोजनार्थ मिश्रण है। घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित इसका समान समकक्ष ग्रेड 610 है। इन दोनों ग्रेडों का उपयोग मेसर्ज गुआरनीफ्लोन इंडिया प्राईवेट लिमिटिड द्वारा किया जाता है, जो कि सदृश मध्यवर्ती उत्पादों का विनिर्माण करती है और जांच अवधि में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की एक मात्र आयातक है । क्षति मार्जिन का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी का आयातित ग्रेड के पहुंच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग के समकक्ष ग्रेड की एनआईपी के साथ किया।

(ग) घरेलू उद्योग ने वर्ष 2008-09 में 8000 मी.टन की क्षमता से अपना वाणिज्यिक प्रचालन शुरू किया था। उसके बाद उसने अपनी क्षमता को बढा कर 12,000 मी.टन और बाद में 16,000 मी.टन तक कर दिया। क्षमता में ऐसी वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि भारत में मांग केवल 3000 – 3500 मी. टन की थी। अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए घरेलू उद्योग को समस्त घरेलू बिक्रियों को पूरा करने पर लगभग 13,000 मी.टन के निर्यात करने चाहिए जो कि इसलिए संभव नहीं है क्योंकि विश्व की मांग में मंदी है। आयातों के सभी स्रोतों पर भारी पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद घरेलू उद्योग को अपनी अतिरेक क्षमताओं के कारण निरंतर क्षति हो रही है। जहां तक कि वर्ष 2014-15 में घरेलू उद्योग ने अपना उत्पादन बढा कर लगभग 37% कर दिया है।

(घ) ओएओ हेलो पोलीमर ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात 172 मी.टन किया है (जो कि घरेलू मांग का 4.5% है), जो कि घरेलू उद्योग के उत्पादन का ***% है। इसके अतिरिक्त ऐसे निर्यात बहुत अधिक कीमत पर किए गए थे।

(ङ) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में तेजी से गिरावट आई है और यही उसकी क्षति का मुख्य कारण है।

(च) जीआईपीएल का यह निवेदन है कि यथानुपात वृद्धि/कमी पर विचार किया जाना चाहिए और न कि पूर्णरूपेण आयातों में परिवर्तन होने पर। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकडों पर विश्वास करने पर यह देखा जा सकता है कि -

(1) आयात नगण्य हुए हैं।

(2) यथानुपात परिकलन से स्पष्ट वृद्धि व क्रेता का पता नहीं चलता है और

(3) क्षति अवधि में मांग में वृद्धि आरोपित आयातों से संबद्ध नहीं है।

(छ) रूस से वर्ष-दर-वर्ष आयात, कुल आयातों का नगण्य भाग बनते हैं। घरेलू उद्योग की वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि मात्रात्मक प्राचलों पर सकारात्मक रही है लेकिन क्षमता उपयोग में असमानता होने के कारण कीमत पर नकारात्मक रही है। जीआईपीएल के रूस से आयात केवल संसाधन करने के बाद निर्यात के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं और इसलिए ये स्थानीय बाजार में कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते हैं।

(ज) ऐसा लगता है कि कीमत के प्रभाव, घरेलू उद्योग द्वारा अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने के फलस्वरूप हुए हैं, जबकि उसका अनुकूलतम उपयोग नहीं हो रहा है और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन की प्रति यूनिट लागत में वृद्धि हुई है। माल सूचियों के इकठ्ठा होने का यह कारण भी हो सकता है।

(झ) पाटित आयातों और घरेलू उद्योग की क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

31. **भारत गणराज्य में रूसी परिसंघ के व्यापारिक प्रतिनिधियों द्वारा किए गए निवेदन**

- **पाटन नहीं हो रहा है -**

o पाटन के पर्याप्त और विश्वसनीय प्रमाण नहीं होने के कारण समीक्षा जांच की शुरूआत करना विशेष रूप से पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 5.2 और 5.3 का उल्लंघन करने जैसा है।

o जब कि वर्ष 2011 से जांच अवधि तक मांग में 30 सूचक बिन्दुओं की वृद्धि हुई है, आयातों की समग्र मात्रा वर्ष 2001 के स्तर पर स्थिर बनी हुई है।

o वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान रूस से उत्पाद के आयात की मात्रा, मूल जांच की अवधि की तुलना में अत्यधिक कम (30-37%) थी।

o पाटन के पर्याप्त प्रमाण नहीं होने के कारण पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 5.8 के अनुसार समीक्षा को बंद कर दिया जाना चाहिए।

- **क्षति नहीं हो रही है -**

o याचिकादाता की भारत में बिक्रियों में 80 सूचक बिन्दु तक वृद्धि हुई है और साथ ही भारतीय उत्पादकों की ऐसी वृद्धि 20 सूचक बिन्दु तक हुई है, जबकि आयातों की मात्रा उसी स्तर पर बनी हुई है।

o भारतीय उद्योग के आर्थिक संकेतक उद्योग की सकारात्मक वृद्धि को प्रतिबिंबित करते हैं।

o इसके अतिरिक्त विगत वर्षों में याचिकादाता ने कुछ खरीदारियां, अधिप्राप्तियां और निवेश किए हैं जिससे उसके सकारात्मक विकास की संपुष्टि होती है।

o उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद के संबंध में पर्याप्त प्रमाण नहीं होने के कारण पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 5.8 के अनुसार समीक्षा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

- **रूस से पीटीएफई के आयातों और घरेलू उद्योग को होने वाली संभावित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है -**

o गुजरात फ्लूरोकेमिकल्स लिमिटिड की संभावित क्षति को रूस से पीटीएफई के आयातों के साथ नहीं जोडना चाहिए। याचिकादाता की वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पीटीएफई के संघटक के लिए मुख्य खतरों में चीन में क्षमता में और विस्तार किया जाना और पीटीएफई की कीमतों पर ऐसे विस्तार के प्रभाव शामिल हैं। वास्तव में चीन व्यापक स्तर पर पीटीएफई के विश्व बाजार को प्रभावित करता है जिसके फलस्वरूप उसकी कीमतों में कमी होती है।

o रूस के उत्पादकों का इरादा भारतीय बाजार में कीमतों को कम करने का नहीं है। वे पाटन से निर्यात नहीं करते हैं।

o पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 5.8 की अपेक्षाओं के आधार पर हमारा यह अनुरोध है कि रूस से पाटित आयातों, रूस से आयातों और याचिकादाता की क्षति और आरोपित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध के प्रमाण नहीं होने के कारण समीक्षा को समाप्त कर दिया जाए ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

32. क्षति विश्लेषण में प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों का निदान कर दिया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए विशेष निवेदन निम्नानुसार हैं :-

(क) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस आशय के निवेदन के संबंध में कि पाटन-रोधी शुल्क काफी लंबे समय से लगे हुए हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली में ऐसा अपेक्षित है कि प्राधिकारी को तब तक पाटन-रोधी शुल्क लागू करते रहने की सिफारिशों पर विचार करना चाहिए जब तक जांच से ऐसी संपुष्टि होती है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त करने की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को उसकी परिणामी क्षति होने की संभावना है। पाटन-रोधी शुल्क को पांच वर्ष की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है, यदि यह स्थापित हो जाता है कि पाटन और घरेलू उद्योग को उसकी परिणामी क्षति होने की संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या केवल पाटन के कारण अथवा पाटन से भिन्न कारकों से क्षति के निरंतर बने रहने की संभावना है।

(ख) घरेलू उद्योग की क्षमता का विस्तार करने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है और घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के अत्यधिक निर्यात किए हैं। प्राधिकारी का संबद्ध पाटन-रोधी नियमावली को ध्यान में रखते हुए एनआईपी का निर्धारण किया कि ताकि इस प्रकार के मुद्दे का निदान किया जा सके। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी नोट करते हैं कि वह ऐसी कीमत के प्रति चिंतित हैं जिस पर देश में पाटित आयात हो रहे हैं।

(ग) भारतीय बाजार में रूस के निर्यातकों द्वारा निर्यात की नगण्य मात्रा होने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस के निर्यातकों के निर्यात भारतीय मांग का 4.5% भाग बनते हैं जो कि निर्णायक समीक्षा जांच के चरण में अत्यधिक हैं तथा संभावित विश्लेषण के लिए पाटित आयातों की कीमत और उसके संभावित रूप से बने रहना प्रासंगिक है। वास्तव में मूल जांच में भी इनकी मात्रा पर्याप्त है । निर्णायक समीक्षा जांच के चरण में संभावित विश्लेषण करने के लिए निर्यात की मात्रा की अपेक्षा आयात की कीमत अधिक प्रासंगिक है।

(घ) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में गिरावट आने के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन के संबंध में प्राधिकारी का निर्यात और घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के लिए पृथक क्षति विश्लेषण किया। इसके अतिरिक्त पाटित आयातों और उससे होने वाली क्षति/निरंतर क्षति के बीच सुदृढ संबंध होने के लिए वस्तु दर वस्तु का विश्लेषण सुनिश्चित करने के प्रयोजन से प्राधिकारी का एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड की तुलना की।

33. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने संबद्ध देश से पाटन और आयातों के कारण क्षति होने के संभावित मुद्दों की जांच कार्रवाई करने से पूर्व घरेलू उद्योग की वर्तमान क्षति, यदि कोई है, की जांच की है।

34. विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 3.1 और पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-2 में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव, और (ख) ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच करने का प्रावधान निहित है। जहां तक पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहां तक कि पाटित के कीमत प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे उत्पादों के प्रभाव से कीमत में काफी अधिक मात्रा में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली इस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती।

35. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (4) में निम्नानुसार उल्लेख है : -

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

36. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उसके सूचकों में शामिल उद्योग की स्थिति के पहलुओं, जैसे कि उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियां, मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर उपरोक्त नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है।

37. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 5 (क) (5) के अनुसार यदि पाटन-रोधी शुल्क पहले समाप्त नहीं कर दिया जाता है, तो उसको लागू करने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति तक उसका प्रभाव बना रहेगा बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार का उसकी समीक्षा करने पर ऐसा विचार बनता है कि ऐसे शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के निरंतर रहने अथवा उनकी आवृति होने की संभावना है, वह समय-समय पर ऐसे शुल्क के लागू रहने की अवधि को आगे पांच वर्ष तक बढा सकती है और ऐसी बढी हुई अवधि, ऐसी अवधि बढाने के आदेश के जारी होने की तारीख से शुरू होगी।

38. वर्तमान जांच लागू पाटन-रोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियम 23 में ऐसा प्रावधान है कि नियम 11 के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित समीक्षा के मामले पर भी लागू होंगे। इसलिए प्राधिकारी ने यथावश्यक परिवर्तन सहित अनुबंध-2 के साथ पठित नियम 11 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की क्षति का निर्धारण किया है। इसलिए प्राधिकारी का इसकी और जांच की है कि क्या मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क संबंधी उपाय, क्षति पहुंचाने वाले पाटन को रोकने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं।

39. वर्तमान क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव तथा कीमतों और लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच की है ताकि क्षति के विद्यमान होने तथा पाटन और क्षति के बीच यदि कोई कारणात्मक संबंध है, तो उसकी जांच की। प्राधिकारी ने गुजरात फ्लूरोकेमिकल्स

लिमिटिड से संबंधित सूचना को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की क्षति की जांच की है । तदनुसार पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव की जांच की गई है जो कि निम्नानुसार है :-

पाटन प्रभावित मात्रा

आयात की मात्रा और बाजार में आयातों का हिस्सा

(क) मांग/प्रत्यक्ष खपत का मूल्यांकन

40. प्राधिकारी की यह धारणा है कि वर्तमान जांच के लिए भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत को घरेलू बिक्रियों और समस्त स्रोतों से आयातों के सकल योग के रूप में परिभाषित किया गया है । भारतीय उत्पादक द्वारा किए गए निर्यातों को ऐसे परिकलन से बाहर रखा ताकि प्रत्यक्ष खपत का सही पता लगे । इस प्रकार से निर्धारित की गई मांग नीचे तालिका में दी गई है :-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
मांग					
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
संबद्ध देश –रूस से आयात	मी.टन	8	7	104	171
अन्य देश - चीन जनवादी गणराज्य से आयात जिन पर पाटन-रोधी शुल्क लग रहा है	मी.टन	891	897	1,171	1,136
अन्य देशों से आयात	मी.टन	964	1,080	976	764
कुल मांग	मी.टन	3,269	3,852	4,286	4,510

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस प्रकार से निर्धारित की गई उपरोक्त मांग से ऐसा पता चलता है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग समस्त क्षति अवधि में बढी है और घरेलू उद्योग की क्षति होने के कारण के रूप में मांग में गिरावट, क्षति का एक कारक नहीं हो सकती है ।

(ख) आयात की मात्रा और बाजार का हिस्सा

42. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या पाटित आयातों में अत्यधिक वृद्धि पूर्णरूपेण अथवा भारत में उत्पादन या खपत के प्रसंग में हुई है । इस संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-2 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है :-

''पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में अत्यधिक वृद्धि पूर्णरूपेण अथवा भारत में उत्पादन या खपत के प्रसंग में हुई है'' ।

43. डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदत्त कारोबार-वार आंकडों को ध्यान में रखते हुए क्षति अवधि के लिए आयात की मात्रा निम्नानुसार है :-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
मांग में बाजार का हिस्सा					
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***
संबद्ध देश – रूस से आयात	%	0.24	0.18	2.43	3.79
अन्य देश - चीन जनवादी गणराज्य से आयात जिन पर पाटन-रोधी शुल्क लग रहा है।	%	27.26	23.29	27.32	25.19
अन्य देशों से आयात	%	29.49	28.04	22.77	16.94

उपरोक्त सूचना से प्राधिकारी का यह मानना है कि समग्र वर्तमान क्षति अवधि के दौरान रूस से आयात की मात्रा सुस्पष्ट रही है। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में हाल ही की अवधि में पूर्णरूपेण वृद्धि हुई है। क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग/प्रत्यक्ष खपत बढी है। यह नोट किया जाता है कि आयात अग्रिम लाईसेंस मार्ग से हुए हैं। हालांकि आयात अग्रिम लाईसेंस मार्ग से हुए हैं, फिर भी प्राधिकारी इसे घरेलू उद्योग की संभावित बिक्रियों का एक ऐसे अवसर को गंवाना मानते हैं, जो कि आयातक को संबद्ध वस्तुओं के समकक्ष ग्रेड की बिक्री कर सकता था।

(घ) मांग में बाजार का हिस्सा

44. प्राधिकारी यह मानती है कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में जो कि वर्ष 2011-12 में 38.61 % था, वर्ष 2011-12 में जांच अवधि में बढ कर 50 % तक हो गया है। रूस के आयातों के बाजार के हिस्से में भी वृद्धि हुई है जो कि वर्ष 2011-12 में 0.24 % से बढ कर वर्ष 2011-12 में जांच अवधि में 3.79 % हो गया है।

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
मांग में बाजार का हिस्सा					
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***
संबद्ध देश – रूस से आयात	%	0.24	0.18	2.43	3.79
अन्य देश - चीन जनवादी गणराज्य से आयात जिन पर पाटन-रोधी शुल्क लग रहा है।	%	27.26	23.29	27.32	25.19
अन्य देशों से आयात	%	29.49	28.04	22.77	16.94

1. कीमत प्रभाव

(क) <u>पाटित आयातों के कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव</u>

45. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच, कीमत में कटौती होने, कम कीमत पर बिक्री होने, कीमत ह्रास और कीमत कीमत न्यूनीकरण के प्रसंग में की गई है । इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ बिक्रियों की लागत, निबल बिक्री वसूली (एनएसआर) और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना, समकक्ष ग्रेड के लिए संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य से की गई है, ताकि वस्तु-दर-वस्तु की तुलना सुनिश्चित की जा सके । जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की तुलना पाटित आयातों के पहुंच मूल्य और घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत के साथ की गई है । घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा करों, छूटों, कटौतियों और कमीशन पर किए गए व्यय को समायोजित किया गया है । क्षति का निर्धारण करने के लिए कम कीमत पर बिक्री होना एक महत्वपूर्ण सूचक है । इस प्रकार प्राधिकारी ने क्षति रहित कीमत तय की है और उसकी तुलना पहुंच मूल्य के साथ की है, ताकि कम कीमत पर बिक्री होने की सीमा का पता लगाया जा सके । पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है, जो कि अनुबंध 5-क के अनुसार घरेलू उद्योग को गोपनीय आधार पर प्रदान की है ।

<u>कीमत में कटौती</u>

46. कीमत में कटौती होने का निर्धारण, आयात कीमत की तुलना, जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की भारत में घरेलू बिक्री कीमत के साथ की गई है । यह देखा जा सकता है कि आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है । प्राधिकारी ने कीमत में कटौती होने का विश्लेषण किया है, जो कि निम्नानुसार है :-

विवरण	यूनिट	201112-	201213-	201314-	जांच अवधि
पाटन-रोधी शुल्क रहित पहुंच मूल्य	रु./कि.ग्रा.	1,154.72	657.56	406.63	419.33
निबल बिक्री कीमत (डब्ल्यूए)	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
निबल बिक्री कीमत (सीजी)	***	***	***	***	***
पाटन-रोधी शुल्क रहित कीमत में कटौती (डब्ल्यूए)	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
पाटन-रोधी शुल्क रहित कीमत में कटौती (सीजी)	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
पाटन-रोधी शुल्क रहित कीमत में कटौती (डब्ल्यूए)	%	***	***	***	***
पाटन-रोधी शुल्क रहित कीमत में कटौती (डब्ल्यूए)	% सीमा	नकारात्मक	0.10	23.35	20.30
पाटन-रोधी शुल्क रहित कीमत में कटौती (सीजी)	%	***	***	***	***
पाटन-रोधी शुल्क रहित कीमत में कटौती (सीजी)	% सीमा	नकारात्मक	नकारात्मक	10.20	10.20

डब्ल्यूए – भारित औसत *सीजी – तुलनीय वस्तुएं*

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान और वर्ष 2013-14 में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत (मूल सीमा शुल्क को शामिल करने के बाद), संबद्ध वस्तुओं की भारित औसत कीमत और तुलनीय ग्रेड की बिक्री कीमत की तुलना में कम है । इसके फलस्वरूप कीमत में कटौती हुई है ।

कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण

48. पाटित आयातों के कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के प्रभाव की जांच भी बिक्रियों की लागत के प्रसंग में की गई है, जिसके लिए उसकी तुलना, जांच की अवधि सहित क्षति अवधि में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की निबल बिक्री वसूली और पहुंच मूल्यों के साथ की गई है।

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
पहुंच मूल्य	रुपए/कि.ग्रा.	1,155	658	407	419
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*57*	*35*	*36*
बिक्रियों की लागत (डब्ल्यूए)	रुपए/कि.ग्रा	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	100	105	104	103
बिक्रियों की लागत (सीजी)	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*105*	*104*	*103*
बिक्री कीमत (डब्ल्यूए)	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	100	69	57	56
बिक्री कीमत (सीजी)	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	100	59	51	50

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में आयातों की पहुंच कीमतों में निरंतर गिरावट आई है, हालांकि घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत कुल मिला कर स्थिर बनी रही हैं लेकिन उसमें मामूली वृद्धि हुई है। दूसरी ओर दोनों तुलनीय ग्रेड की बिक्री कीमत तथा सभी ग्रेडों की समग्र भारित औसत कीमत में पहुंच मूल्य के अनुरूप निरंतर गिरावट होती रही है ताकि बाजार के हिस्से को संरक्षित रखा जा सके। इसलिए बिक्रियों की लागत में वृद्धि को प्रयोक्ताओं को अंतरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में ह्रास होता रहा है।

50. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आयातों के फलस्वरूप बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर कीमत ह्रास और न्यूनीकरण होने का प्रभाव पडा है। जबकि क्षति अवधि में उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है, बिक्री की कीमतों में अत्यधिक गिरावट आई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ है।

ट. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक प्राचलों की जांच

51. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-2 में ऐसी अपेक्षा की जाती है कि क्षति का निर्धारण करने में ऐसे उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्य परक जांच करना निहित होगा। नियमावली में आगे यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने में ऐसे सभी आर्थिक कारकों और सूचकों की सार्थक और निष्पक्ष मूल्यांकन करना शामिल होना चाहिए, जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पडता है। इनमें वास्तविक बिक्रियां और बिक्रियों, लाभ, आउटपुट, बाजार के हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता उपयोग में

वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह, माल सूचियां, रोजगार, वेतन, संवृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता शामिल है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति प्राचलों का उल्लेख नीचे किया गया है।

(क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

52. घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियों के संबंध में निष्पादन निम्नानुसार है :-

विवरण	**यूनिट**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**जांच अवधि**
क्षमता(टीएफई के रूप में)	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*135*	*135*
उत्पादन (टीएफई)	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*77*	*88*	*110*
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*77*	*65*	*82*
घरेलू बिक्रियां (सभी ग्रेड)	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*136*	*147*	*179*

53. उपरोक्त स्थिति से प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2012-13 में घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है और उसके बाद उसमें वृद्धि हुई है। इसके साथ ही वर्ष 2013-14 तक घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है, लेकिन उसके बाद उसमें वृद्धि हुई है। इसलिए उत्पादन और क्षमता उपयोग, पाटित आयातों ने जांच अवधि के दौरान समग्र विश्लेषण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कंपनी ने अपनी क्षमता का विस्तार मुख्यतया निर्यात मांग को पूरा को पूरा करने के लिए किया था तथा क्षमता का कम उपयोग होने का मुख्य कारण विचाराधीन उत्पाद की वैश्विक मांग में मंदी आना है।

(ख) बाजार का हिस्सा

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है और इसी तरह क्षति अवधि में आयातों के बाजार के हिस्से में भी वृद्धि हुई है।

विवरण	**यूनिट**	**201112-**	**201213-**	**201314-**	**जांच अवधि**
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***
संबद्ध देश –रूस से आयात	%	0.24	0.18	2.43	3.79
अन्य देश -चीन जनवादी गणराज्य से आयात जिन पर पाटन-रोधी शुल्क लग रहा है।	%	27.26	23.29	27.32	25.19
अन्य देशों से आयात	%	29.49	28.04	22.77	16.94

(ग) लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह

55. उपरोक्त प्राचलों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

तुलनीय ग्रेडों के लिए

विवरण	यूनिट	201112-	201213-	201314-	जांच अवधि
बिक्रियों की लागत	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*105*	*104*	*103*
बिक्री कीमत	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*59*	*51*	*50*
लाभ/हानि	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*26*	*14*	*13*
लाभ/हानि	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*31*	*15*	*18*
नकद लाभ	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*33*	*16*	*20*
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*27*	*14*	*18*

सभी ग्रेडों का मिश्रण

विवरण	यूनिट	201112-	201213-	201314-	जांच अवधि
बिक्रियों की लागत	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*129*	*131*	*127*
बिक्री कीमत	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*70*	*58*	*57*

लाभ/हानि	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*28*	*6*	*7*
लाभ/हानि	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*69*	*15*	*23*
नकद लाभ	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*79*	*25*	*34*
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	%	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*5*	*1*	*2*

56. उपरोक्त स्थिति के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी ने आधार वर्ष के दौरान अतिरिक्त लाभ अर्जित किया है, चूंकि आरओआई 100 % से अधिक थी जिसमें क्षति अवधि में उत्तरोतर गिरावट आ गई, हालांकि यह तुलनीय ग्रेड की वस्तु के लिए सामान्य बनी रही । सभी ग्रेडों की मिश्रित लाभप्रदता में गिरावट आई, हालांकि यह संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक बनी रही। आधार वर्ष 2010-11 में अतिरिक्त लाभ अर्जित करने का कारण कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कमी के कारण निर्यात बाजार और घरेलू बाजार दोनों में इसकी मात्रा और कीमतों में अत्यधिक उछाल आया था ।

57. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतों में गिरावट आने को ध्यान में रखते हुए घरेलू बिक्रियों के संबंध में घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई थी। भारतीय बाजार में पाटित आयातों के प्रवेश करने से घरेलू उद्योग को बाजार में सुस्थिर रूप से बने रहने के लिए कम कीमतों पर वस्तुओं को बेचना पडा था। इस प्रकार घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों में वृद्धि करने से रोका गया है। वास्तव में जब कीमत में वृद्धि हुई थी तब बिक्री कीमतों में गिरावट आई थी। यह भी नोट किया जाता है कि निवेश पर प्रतिलाभ और नकद लाभ में भी लगभग वही प्रवृति रही है, जैसी की लाभ की है। इस अवधि में निवेश पर प्रतिलाभ और नकद लाभ में भी गिरावट आई है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष के दौरान घरेलू उद्योग ने अतिरिक्त लाभ अर्जित किया है।

58. विचाराधीन उत्पाद के सभी ग्रेडों की नीचे दी गई सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की माल सूचियों में वृद्धि हुई है।

विवरण	**यूनिट**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**जांच अवधि**
औसत भंडार	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*189*	*177*	*202*

(ग) रोजगार, उत्पादकता और वेतन

59. विचाराधीन उत्पाद के सभी ग्रेडों की नीचे दी गई सूचना से प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग में रोजगार लगभग उन्हीं स्तरों पर बना हुआ है ।

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
रोजगार	संख्या	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*110*	*92*	*100*
वेतन और मजदूरियां	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*110*	*36*	*37*

(घ) संवृद्धि

60. विभिन्न प्राचलों की संवृद्धि के संबंध में सूचना निम्नानुसार है :-

वृद्धि	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
उत्पादन में (टीईई रहित सकल)	%	-	(32)	7	23
घरेलू बिक्रियों की मात्रा में	%	-	36	8	22
घरेलू बिक्री कीमत में	%	-	(31)	(17)	(1)
घरेलू बिक्री की लागत में	%	-	12	2	(3)
औसत स्टॉक में	%	-	89.06	(6.45)	13.95

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के संवृद्धि के सूचकों ने ऐसा अंतर दर्शाया है जो कि मात्रा के प्राचलों में सकारात्मक और कीमत प्राचलों में नकारात्मक है ।

(ङ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

62. प्राधिकारी का यह मानना है कि याचिकादाता कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार घरेलू उद्योग के पास पहले से ही पर्याप्त क्षमता विद्यमान है और भविष्य में नया निवेश करने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है ।

(च) पाटन का स्तर और पाटन मार्जिन

63. प्राधिकारी का यह मानना है कि संबद्ध देश से पाटन मार्जिन, पर्याप्त होने की अपेक्षा न्यूनतम से काफी अधिक है । घरेलू उद्योग पर पाटन का प्रभाव, कीमत कटौती के रूप में भी देखा जा सकता है ।

(छ) कारणात्मक संबंध

64. पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी को अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों से भिन्न ऐसे अन्य ज्ञात कारकों की भी जांच करनी अपेक्षित होती है, जो कि उस समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे होते हैं, ताकि ऐसे अन्य कारकों से होने वाली क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जाए । इस संबंध में जो कारक प्रासंगिक होते हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे आयातों की मात्रा और और कीमत, जो कि पाटित कीमतों पर नहीं बेचे जाते हैं, मांग में

संकुचन अथवा खपत के पेटर्न में परिवर्तन, प्रतिसंबंधित व्यापारिक पद्धतियां और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा, प्रोद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। इसकी जांच की गई है कि क्या नियमावली में सूचीबद्ध ऐसे अन्य प्राचल, घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कारण हो सकते हैं। इसके तृतीय निर्णायक समीक्षा होने के नाते प्राधिकारी यह उपयुक्त समझते हैं कि पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध होने को पुन: सिद्ध किया जाए । यह पाया गया है कि –

(1) **अन्य देशों से आयातों की मात्रा और कीमत –** संबद्ध देश और चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लग रहा है। तृतीय देश के आयात मुख्यतया यूएसए और यूरोपीय यूनियन से आयात अत्यधिक उच्च कीमतों पर होते हैं।

(2) **उत्पाद की मांग –** विचाराधीन उत्पाद की घरेलू मांग से सकारात्मक प्रवृति का पता चला है। चूंकि मांग में कोई संकुचन नहीं है, मांग में संभावित गिरावट को घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।

(3) **खपत के पेटर्न में परिवर्तन –** विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पेटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(4) **व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धतियां तथा विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा -** ऐसी कोई प्रतिबंधित व्यापारिक पद्धति नहीं है, जो कि घरेलू उद्योग की क्षति का कारण हो सकती है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग एक प्रमुख वाणिज्यिककार है और विचाराधीन उत्पाद की वैश्विक क्षमता में उसका अंश **** है।

(5) **प्रोद्योगिकी में विकास -** उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रोद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए प्रोद्योगिकी परिवर्तन क्षति का एक कारक नहीं है।

(6) **निर्यात निष्पादन** - घरेलू उद्योग की क्षति का दावा घरेलू प्रचालनों के कारण है। तथापि, याचिकादता ने घरेलू बिक्रियों के लिए लागत और क्षति की सूचना पृथक रूप से प्रदान की है। इसलिए निर्यात को घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।

(7) **घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन -** इस याचिका में केवल संबद्ध वस्तुओं के बारे में सूचना दी गई है।

<u>क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन</u>

65. प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत की तुलना, जांच अविध के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देश से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। वस्तु-दर-वस्तु की तुलना करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने संबद्ध देश से देश में आयातित ग्रेड नामत: 4 आर बी की तुलना, घरेलू उद्योग के वर्जिन ग्रेन्यूलर ग्रेड 610 के साथ की है, जिसका उपयोग सामान्य मॉल्डिंग अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। तदनुसार समान ग्रेड और समान अवधि को ध्यान में रखते हुए क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है। उपरोक्त ग्रेडों के लिए भारित औसत के आधार पर क्षति मार्जिन निम्नानुसार है :-

विवरण	**यूनिट**	**राशि**
क्षति रहित कीमत	अमरीकी डालर प्रति मी.टन	***
पहुंच कीमत	अमरीकी डालर प्रति मी.टन	***
क्षति मार्जिन	अमरीकी डालर प्रति मी.टन	***
क्षति मार्जिन	%	***
क्षति मार्जिन	% सीमा	10-15

66. उपरोक्त स्थिति से प्राधिकारी का यह मानना है कि जांच अवधि के दौरान रूस से सभी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा विनिर्मित उपरोक्त ग्रेड के विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में क्षति मार्जिन सकारात्मक है।

आर्थिक क्षति

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध देश से आयातों में पूर्णरूपेण और भारत में उत्पादन/खपत के प्रसंग में दोनों प्रकार से वृद्धि हुई है और यह सुस्पष्ट बने रहे हैं। आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रहे हैं। आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में ह्रास और उसका न्यूनीकरण कर रहे हैं। अनेक वर्षों से आयात कीमतों में गिरावट हो रही है और उसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में आधार वर्ष की तुलना में लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ, नकद प्रवाह और माल सूचियों के रूप में गिरावट आई है। तथापि, जांच अवधि के दौरान एनआईपी नियमावली के अनुसार यथा स्वीकृत आरओआई लगभग उचित प्रति लाभ के बराबर है। आर्थिक क्षति का मूल्यांकन किया गया है और देश में आयातित ग्रेड के समकक्ष ग्रेड के लिए अर्हकारी है।

(झ) पाटन और क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा पुनरावृति होने की संभावना

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

68. घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा पुनरावृति होने की संभावना के बारे में अपने दावे के समर्थन में किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

(1) पाटन की संभावना से संबद्ध कारक संभावित क्षति होने के साथ-साथ वर्तमान मामले के प्रासंगिक हैं और उन पर विश्वास किया जाता है।

(2) पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद घरेलू बाजार में आयात, पाटित कीमत पर किए गए हैं।

(3) संबद्ध देश से उत्पादकों के पास कम घरेलू मांग की तुलना में अत्यधिक प्रयोत्य क्षमता *** है और उनके उत्पादन के 90% से अधिक के गहन निर्यातों से ऐसा स्थापित होता है कि पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर देने पर भी भारत में सघन निर्यात हो सकते हैं।

(4) संबद्ध देश से निर्यातक विचाराधीन उत्पाद के निर्यात, तृतीय देशों को भी पाटित कीमतों पर कर रहे हैं।

(5) रूस से तृतीय देशों को निर्यातों के मामले में भी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों सकारात्मक हैं।

(6) वर्तमान जांच अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों सकारात्मक हैं और संबद्ध देश के मामले में ये अत्यधिक हैं।

(7) प्रचलित पाटन-रोधी शुल्क के बिना भी कीमतों में कटौती सकारात्मक है।

(8) वास्तव में आयात की कीमतें, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम हैं। इसलिए उपभोक्ता पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर आयातित उत्पाद की ओर उन्मुख हो सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद के आयातों में वृद्धि हो सकती है।

(9) घरेलू उद्योग पहले से ही पाटित आयात कीमतों के कारण कीमत ह्रास का सामना कर रहा है जो कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी कम है। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए अपनी बिक्री कीमत को कम करना पड सकता है, जो कि उसकी बिक्री लागत से भी कम करना पड सकती है जिसके फलस्वरूप उसको कीमत क्षति होगी।

निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

69. मेसर्ज जीआईपीएल ने बताया है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर स्थानीय बाजारों में रूस के आयातों की भरमार नहीं होगी क्योंकि घरेलू उद्योग में पटीएफई के सीमित प्रयोक्ता हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

70. वर्तमान जांच रूस से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू पाटन-रोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते प्राधिकारी को इसका निर्धारण करना आवश्यक है कि क्या पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने इसकी जांच की है कि शुल्क लगाने से पाटन के क्षति प्रभाव को दूर करने का अभीष्ट उद्देश्य पूरा हुआ है, क्योंकि जैसा कि एनएसआर में अनुरोध किया गया है, जांच अवधि में लगाया गया पाटन-रोधी शुल्क एनआईपी से अधिक है।

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में रूस से संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन हो रहा है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, जिससे संबद्ध देश से पाटन और क्षति होने की संभावना का पता चलता है। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और भारतीय बाजार में विद्यमान अनुकूल बाजार स्थितियों के कारण जहां तक संबद्ध वस्तुओं की मांग और कीमत का संबंध है, प्राधिकारी का मानना है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर रूस से पाटन में वृद्धि होगी । निम्नलिखित विश्लेषण से ऐसा पता चलेगा कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में ऐसी संभावना है कि निरंतर पाटन/सघन होगा और घरेलू उद्योग को क्षति होगी ।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्ज ओएओ हेलो पोलीमर, रूसी परिसंघ एक प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक है जो कि जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं का एक मात्र उत्पादक है जिसके *** उत्पादन का निर्यात किया गया है और केवल *** की बिक्री घरेलू बाजार में की गई है। इसलिए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर रूस में पटीएफई की कम घरेलू मांग होने और परिणामी अत्यधिक सघन निर्यात के साथ-साथ सकारात्मक पाटन और क्षति मार्जिन, निरंतर पाटन होने और क्षति का एक सुदृढ सूचक है।

(1) <u>विगत जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन</u>

72. प्राधिकारी ने रूस के संबंध में तीन जांच की हैं। इन सभी जांच से अत्यधिक पाटन के विद्यमान होने की पुष्टि हुई है। वर्तमान जांच के लिए निर्धारित किया गया पाटन भी पर्याप्त है। इससे यह स्थापित होता है कि पाटन-रोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन के निरंतर बने रहने की संभावना है। विगत जांच में भी संबद्ध देश के संबंध में पाटन मार्जिन पर्याप्त था।

(2) <u>विगत मूल अवधि और परवर्ती अवधि के बीच आयातों की मात्रा</u>

73. विगत जांच के साथ-साथ वर्तमान अवधि में सूचित किए गए निर्यातों की मात्रा से पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध देश के मामले में आयातों की मात्रा अतयधिक बनी हुई है। इससे पता चलता है कि का पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में इसकी मात्रा बढ़ने की प्रबल संभावना है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि जांच अवधि में जबकि आयात स्पष्ट स्तर पर दृष्टव्य थे, घरेलू उद्योग ने आरओई प्राप्त किया है, लेकिन पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में ऐसी संभावना है कि जैसा कि जांच अवधि के दौरान निर्धारित किया गया है, क्षति मार्जिन तक क्षति होने के लिए क्षति मार्जिन सृजित करना होगा।

(3) <u>विदेशी उत्पादकों की स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य वर्तमान और संभावित क्षमताएं तथा निर्यात प्रवृतियां</u>

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश के उत्पादकों के पास लगभग *** मी. टन (***%) तक अत्यधिक बेशी उत्पादन करने की क्षमता विद्यमान है।

(4) <u>भारतीय बाजार का कीमत आकर्षण</u>

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिन कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं के आयात किए जा रहे हैं, वे उस कीमत से कम है, जिस पर भारतीय बाजार में वस्तुओं को बेचा जा रहा है। इसलिए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देश से निर्यात, उनके पास उपलब्ध अत्यधिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में उनकी आउटपुट और अधिक सरणीबद्ध होगी। इससे घरेलू उद्योग को संभावित क्षति होने की संभावना का पता चलता है, क्योंकि पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने पर संबद्ध देश से आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होने की संभावना है और इससे घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को और कम करने के लिए विवश होगा।

(5) <u>उत्पाद की कीमत और भारतीय बाजार संबंधी संवेदनशीलता के रूप में घरेलू उद्योग की असुरक्षा</u>

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय बाजार अत्यंत कीमत संवेदी है। उपभोक्ता अपनी खरीद के बारे में निर्णय लेते हैं जिसके लिए कीमत मुख्य आधार होती है । प्रतिवादी आयातक ने भी यह निवेदन किया है कि वस्तुओं को अधिप्राप्त करने के लिए कीमत एक महत्वपूर्ण प्राचल होती है । कम कीमत के आयातों के प्रयोजन और उसके परिणाम स्वरूप सहयोगी आयातक द्वारा संबद्ध वस्तुओं की घरेलू अधिप्राप्ति की कीमत में कटौती होने को भी नोट किया गया है । इसलिए बाजार में संबद्ध देश से आयातों की कम कीमत पर उपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है। संबद्ध देश द्वारा निरंतर दीर्घावधि पाटन पद्धति, वर्तमान मामले का तथ्य है और ऊपर वर्णित पाटन और क्षति तथा पाटन और क्षति प्राचलों की संभावना से ऐसा महसूस किया जाता है कि पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने पर पाटन और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के निरंतर जारी रहने और उनके बढने की संभावना है।

77. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद के सघन पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। संबद्ध देश से वर्तमान आयात की मात्रा और पाटन मार्जिन से ऐसी संभावना बढती है कि पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संबद्ध देश के पास घरेलू मांग से अधिक क्षमताएं विद्यमान हैं, भारतीय बाजार में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का सघन पाटन होगा। यह भी नोट किया जाता है कि वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क रोकथाम के एक उपाय के रूप में कार्य कर रहा है, जिसके समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप भारतीय बाजार में संबद्ध देश के उत्पादकों द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं के बढे हुए आयातों से पूर्ति की जाएगी।

(6) उपाय नहीं होने के कारण कीमत में कटौती

78. प्राधिकारी नोट करते हैं के पाटन-रोधी शुल्क लागू नहीं होने पर संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण कीमत में कटौती होगी और यदि वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसी संभावना है कि कीमत में कटौती गहन होगी।

79. प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण कुल मिला कर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों का समाधान करते हैं। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

(क) काफी लंबे समय से पाटन-रोधी शुल्कों के विद्यमान होने के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्व जांच में पाटन-रोधी शुल्क की मात्रा, कमतर शुल्क संबंधी नियम के अनुसार पाटन के कारण होने वाली क्षति को दूर करने के तक सीमित थे।

(ख) प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि जहां कहीं भी संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था, वहां उन्होंने निर्णायक समीक्षाओं में पाटन-रोधी शुल्क लगाने पर विचार किया है और उसको बढाने की सिफारिश की है और उसे यथोचित माना है। वर्तमान मामले से संबंधित तथ्यों पर विचार करते हुए प्राधिकारी का यह मानना है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन के निरंतर जारी रहने, उसकी आवृति होने तथा घरेलू उद्योग को उसकी परिणामी क्षति होने की संभावना है। प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि विश्व भर में विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका में ऐसे अनेक मामले हुए हैं जिनमें पाटन-रोधी शुल्क लगाए गए हैं और जहां चतुर्थ निर्णायक समीक्षा जांच की गई थी तथा संयुक्त राज्य अमरीका में काफी लंबे समय से पाटन-रोधी शुल्क लगाए गए हैं। वर्तमान निर्णायक समीक्षा में सत्यापित आंकडों और तुलना के उचित स्तर पर कार्य-प्रणाली के आधार पर पाटन और क्षति की मात्रा का मूल्यांकन किया गया है।

(ग) घरेलू उद्योग के क्षमता विस्तार के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह केवल घरेलू बाजार तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि गुजरात फ्लूरोकेमिकल्स लिमिटिड, द्वारा निवेदन किया गया है, घरेलू उद्योग के पास विचाराधीन उत्पाद का अत्यधिक मात्रा में निर्यात करने की क्षमता विद्यमान है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वह ऐसी कीमत से चिंतित हैं, जिस पर देश में पाटित आयात किए जाते हैं।

(घ) भारतीय मांग में रूस के निर्यातकों के निर्यात के तुच्छ हिस्से (जो कि घरेलू मांग का 4.5% है) के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा के चरण में रूस से निर्यात का हिस्सा भारतीय मांग का लगभग 5% है, जो कि अत्यधिक है।

(ङ) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में गिरावट आने के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों के संबंध में प्राधिकारी ने विशेष रूप से घरेलू बिक्रियों की जांच की है।

प्रकटन विवरण पर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां

80. विचाराधीन उत्पाद, समान वस्तु और घरेलू उद्योग का आधार

घरेलू उद्योग ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए अपने सभी तथ्यों, तर्कों, प्रकथन और विवरणों को दोहराया है और यह अनुरोध किया है कि ऐसे निवेदनों को इनमें शामिल कर लिया जाए। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र निरंतर वही है, जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल जांच में विचार किया था। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों की तुलना करने की कार्य-प्रणाली के संबंध में प्राधिकारी us अलग-अलग ग्रेड के आधार पर तुलना की।
- गुजरात फ्लूयोरोकेमिकल्स लिमिटिड, याचिकादाता, का उत्पादन भारतीय उत्पादन का मुख्य अंश है, इसलिए प्राधिकारी ने इसमें गुजरात फ्लूयोरोकेमिकल्स लिमिटिड को घरेलू उद्योग माना है।
- याचिकादाता पाटन-रोधी नियमावली में उल्लिखित परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग बनता है।

81. पाटन

- रूस में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य को निर्धारण करते समय प्राधिकारी ओएओ हेलोपोलीमर द्वारा किए गए उत्पादन की लागत के दावे को घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के साथ सहयोजित किया तथा सामान्य मूल्य की संरचना की। उत्पादक द्वारा प्रदत्त उत्पादन की लागत में सभी लागतें शामिल हैं तथा दावा की गई उत्पादन की लागत पर 5 % लाभ को शामिल करते हुए उत्पादन की लागत को अपनाया।
- भारतीय बाजार में रूस से पाटित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद निरंतर प्रवेश कर रहा है। इसके अतिरिक्त संबद्ध देश से पाटन मार्जिन, न्यूनतम सीमा से पर्याप्त रूप से अधिक है।
- पाटन के प्रमाण के रूप में इस संबंध में महानिदेशक के निवेदन, निम्नलिखित आधार पर सामान्य टैरिफ और व्यापार करार (जिसे आगे पाटन-रोधी करार कहा गया है) के अनुच्छेद VI के प्रावधानों के समनुरूप नहीं है :-
- विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य की संरचना, भारतीय उत्पादकों के आंकडों का प्रयोग करके प्रतिनिधि पद्धति के आधार पर गई है, जो कि पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 2 के प्रावधानों के समनुरूप प्रतीत नहीं होती है।

पाटन मार्जिन का परिकलन

- विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य की संरचना, भारत में समान उत्पादों की लागत के आधार पर की गई है। हालांकि ऐसा उपागम (अर्थात् संरचित मूल्य) सामान्यतया विश्व व्यापार संगठन की नियमावली और मानदंडों का उल्लंघन नहीं है, फिर भी ऐसी क्रिया-प्रणाली का उपयोग अनेक अवसरों पर यथोचित होता है। चूंकि संयुक्त राज्य अमरीका – ऑयल कंट्री ट्यूब्यूलर गुड्स में पेनल ने यह निर्णय दिया है कि प्रथमत: पाटन की अवधारणा, निर्यातक कीमतों और गृह बाजार की तुलना है। जब ऐसी कीमतें उचित तुलना करने की अनुमति नहीं देती हैं, तो मूल्य का निर्धारण, तृतीय देश को निर्यात किए जाने पर समान उत्पाद की कीमत के साथ तुलना करके किया जाता

है, बशर्ते कि ऐसी कीमत, मूल देश में उत्पादन की लागत की परिचायक हो और उसमें प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत और लाभ के लिए उचित समायोजन किया गया हो।

- इस प्रकार महानिदेशालय ने भारत में समान उत्पादों के उत्पादन की लागत का प्रयोग करके और न कि रूस (मूल देश) में उत्पादन की लागत का प्रयोग करके गलती की है।
- विचाराधीन उत्पाद की गृह बाजार की बिक्रियों के निम्न स्तर के अनुसार गृह बाजार की बिक्रियों का स्तर पर्याप्त है, बशर्ते कि गृह बाजार की बिक्रियां, जांच करने वाले देश में निर्यात बिक्रियों का 5% बनती हों। महानिदेशालय इस आशय के प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहा है कि विचाराधीन उत्पाद की गृह बाजार की कोई बिक्री नहीं हुई है अथवा बिक्री का स्तर 5% ग्रेड से कम है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त महानिदेशालय विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य का परिकलन करने की कार्य-प्रणाली को प्रस्तुत करने में भी विफल रहा है। विशेष कर उत्पाद का सामान्य मूल्य का परिकलन करते समय प्रयुक्त विनिर्माण व्ययों के बारे में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस प्रकार पाटन मार्जिन का परिकलन, पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 2.4 के प्रावधानों का उल्लंघन करके किया गया है।
- उपरोक्त निवेदनों के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के पाटन मार्जिन के आकार के संबंध में परिणाम (प्रकटन विवरण का पैरा 63) पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 2 के समनुरूप नहीं है।

82. <u>क्षति/कारणात्मक संबंध</u>

- प्राधिकारी के इस आशय के प्रेक्षण के उत्तर में कि आयात, अग्रिम लाईसेंस के मार्ग से किए जाते हैं, प्राधिकारी us इसे घरेलू उद्योग के संभावित बिक्रियों के लिए एक खोया हुआ अवसर माना क्योंकि वह आयातक की संबद्ध वस्तुओं के समकक्ष ग्रेड को बेच सकता था। यह निवेदन किया जाता है कि अग्रिम लाईसेंस के आधार पर अधिप्राप्त किए गए रूस के पीटीएफई को बेचा नहीं गया था अथवा घरेलू बाजार में बेचने का इरादा नहीं था। इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं है कि उसके कारण घरेलू उद्योग ने कोई अवसर गंवाया हो। जैसा कि पहले निवेदन किया गया है, गुणवत्ता और समानता तथा अंत उपभोक्ताओं की अभिरूचियों के मुद्दों के कारण घरेलू उद्योग से समकक्ष ग्रेड की अधिप्राप्ति करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
- यह नोट करना प्रासंगिक है कि जीआईपीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकडों के अलावा किसी अन्य स्टेकहोल्डरों द्वारा प्रस्तुत की गई कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रक्षेपित मात्रा संबंधी कारणात्मक संबंध कल्पना मात्र है।
- लागू पाटन-रोधी शुल्क की समाप्ति को यथोचित ठहराने के निम्नलिखित मूलभूत मुद्दों को दोहराया जाता है :-
  - यह कि पाटन-रोधी संरक्षण प्राय: अंत उपभोक्ताओं की पर्याप्त लागत पर किया जाता है।
  - घरेलू उद्योग का पाटन-रोधी संरक्षण, उपभोक्ताओं की लागत पर किया जाता है, जिसके फलस्वरूप उच्चतर कीमतें होती हैं, निम्नतर गुणवत्ता युक्त उत्पाद होते है और इस प्रकार उपभोक्ता की अभिरूचियों को कम किया जाता है।
  - अर्थव्यवस्था की दृष्टि से किसी भी पाटन-रोधी विधि का समर्थन करने का कोई कारण नहीं है, चूंकि समस्त बाजार में कीमतों में वैध अंतर होता है और अधिमान्य युक्तिसंगत, तर्कसंगत, कानूनी लाभ, अधिकतम कार्रवाई करने योग्य होता है।

- कुछ निर्यात कीमतों को इस कारण से अनुचित ठहराने का कोई औचित्य नहीं है कि वे अन्य बाजारों में प्रचलित कीमतों की तुलना में निम्नतर होती हैं, जबकि घरेलू कीमत में अंतर रहता है। देश के घरेलू क्षेत्रीय बाजारों के बीच ऐसा अंतर सामान्यतया दंडित नहीं होता है।

- जैसा कि प्रकटन विवरण में उल्लेख किया गया है, संयुक्त राज्य अमरीका में पाटन-रोधी शुल्कों की शुरूआत में वर्ष 1993 से गिरावट आने की प्रवृति दृष्टिगत हुई है। इसके अतिरिक्त भारत ने कुल वैश्विक पाटन-रोधी मामलों में से लगभग 20 % मामले दायर किए हैं, जो कि उसके 2% वैश्विक आयातों की अपेक्षा काफी असंगत हैं।

- ऐसा प्रतीत होता है कि महानिदेशालय क्षति का विश्लेषण करते समय भारत में घरेलू उद्योग (जिसे आगे घरेलू उद्योग कहा गया है) की स्थिति से संबंधित सभी संबद्ध आर्थिक आंकडों और कारकों की जांच करने में विफल रहा है, जो कि पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 3 के उपबंधों का उल्लंघन है।

- अंतत: महानिदेशालय, उचित तरीके से इस संदेह को दूर करने में विफल रहा है कि घरेलू उद्योग को हुई आरोपित क्षति और विचाराधीन उत्पाद के बीच कारणात्मक संबंध है। इसके विपरीत पाए गए अपर्याप्त निकृष्ट प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ऐसे कारणात्मक संबंध विद्यमान हैं।

➢ घरेलू उद्योग के संबंध में क्षति का विश्लेषण करते समय महानिदेशालय ऐसे आंकडों और निवेदनों का निदान करने में विफल रहा है, जो कि घरेलू उद्योग के सकारात्मक विकास को प्रतिबिंबित करते हैं, जो कि पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 3 प्रावधानों का उल्लंघन है।

➢ थाईलैंड – एच बीम्स के पेनल ने पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 3.4 प्रावधानों की जांच करते समय यह निर्णय दिया गया था कि अनेक कारकों के सकारात्मक चलन के लिए ऐसे अकाट्य स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी कि ऐसी प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रवृतियों के आलोक में करार {.....} की परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग, क्यों और कैसा क्षति ग्रस्त रहा है और ऐसी स्थिति की गहराई से जांच की जानी चाहिए और प्रत्यायक स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए कि किसी अन्य कारकों और सूचकों द्वारा क्या और कैसे सकारात्मक चलन को प्रभावित किया गया है, जिसका चलन जांच अवधि के दौरान नकारात्मक दिशा की ओर हो सकता था।

➢ महानिदेशालय के निवेदनों के अनुसार विशेषकर निम्नलिखित कारक, वर्ष 2011 से जांच अवधि (अक्टूबर, 2013 – सितंबर, 2014) के दौरान घरेलू उद्योग के सकारात्मक विकास को दर्शा रहे हैं :-

- घरेलू बाजार में घरेलू उत्पादकों की बिक्रियों में 73% तक की वृद्धि।
- घरेलू बाजार में घरेलू उत्पादकों की बिक्रियों के सूचकांक में 179 बिंदुओं तक की वृद्धि।
- घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता में वर्ष 2013—14 में 35 सूचकांक में बिन्दुओं तक की वृद्धि।

➢ फिलहाल घरेलू उद्योग के विकास की विभिन्न सकारात्मक प्रवृतियों के बावजूद महानिदेशालय पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 3.4 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संपूर्ण और प्रत्यायक स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है कि ऐसी सकारात्मक प्रवृतियां कैसे नकारात्मक कारकों से अतिभारित हो गईं हैं।

➢ महानिदेशालय ने यह निष्कर्ष गलत निकाला है कि खपत के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि जांच अवधि के दौरान घरेलू खपत में भारतीय उत्पादकों के अंशदान में 11 सूचकांक बिन्दुओं अर्थात् 54% तक की वृद्धि हुई थी। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि महानिदेशालय, घरेलू उद्योग को हुई क्षति को सिद्ध करते समय पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा है।

- पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए महानिदेशालय समान उत्पाद की भारतीय उत्पादकों के निर्यात के आंकडों का गहन और पर्याप्त विश्लेषण प्रस्तुत करने में विफल रहा है।
- घरेलू उद्योग को आरोपित आर्थिक क्षति भारतीय उत्पादकों के निर्यात क्रिया-कलापों के कारण हो सकती है।
- विशेषकर महानिदेशालय ऐसे आंकडों का निदान करने में विफल रहा है, जो कि प्रथम जांच अवधि के साथ तुलना करने पर विचाराधीन अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद में 30-37% तक की गिरावट दर्शाते हैं।
- विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग की आरोपित आर्थिक क्षति के बीच स्पष्ट कारणात्मक संबंध होने की संपुष्टि करने के लिए प्रकटन विवरण के पैरा 64-65 को निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं माना जा सकता है ।
- विशेषकर महानिदेशालय ने विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतों की तुलना, संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय यूनियन मूल के समान उत्पादों की आयात कीमतों के साथ की है। ऐसी कार्य-प्रणाली को सही और उपयुक्त नहीं माना जा सकता है, क्योंकि महानिदेशालय उत्पाद के विनिर्माण से संबद्ध वास्तविक लागतों का परिकलन करने में विफल रहा है। आयात कीमतों का निर्धारण करने के लिए किसी अन्य कार्य-प्रणाली का उपयोग नहीं किया गया है और इसके साथ-साथ इसकी समीक्षा करते समय रूस की अर्थव्यवस्था, जैसे कि भौगोलिकीय अवस्थिति या कच्चे माल की लागत कीमत को ध्यान में नहीं रखा गया है।
- भारत में खपत में विचाराधीन उत्पाद के आयात में 3.8% तक की तुच्छ वृद्धि बमुश्किल से घरेलू उद्योग पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव डालने का कारण हो सकती है। विशेषकर मंत्रालय यह नोट करता है कि घरेलू बाजार में भारत में मूल समान उत्पाद की खपत के अंशदान में 54.1% की वृद्धि हुई है।
- पीटीएफई के संबंध में वर्तमान अंतिम निर्णायक समीक्षा की शुरूआत, गुजरात फ्लूओरो केमिकल्स लिमिटिड (याचिकादाता) की याचिका पर की गई थी। गुआरनीफ्लोन इंडिया प्राईवेट लिमिटिड (जिसे आगे जीआईपीएल कहा गया है), वर्ष 2013-15 के दौरान याचिकादाता से पीटीएफई का प्रमुख अधिप्राप्त कर्ता है जिसने रूस के विनिर्माता, ओएओ हेलोपोलीमर से भी पीटीएफई की अधिप्राप्ति की है। निर्णायक समीक्षा जांच के दौरान जीआईपीएल ने पीटीएफई की गुणवत्ता के संबंध में निम्नलिखित सूचना (पैरा 14) प्रस्तुत की है। जीआईपीएल के अनुसार ओएओ हेलोपोलीमर का संयंत्र अपेक्षाकृत पुराना है जिसमें पीटीएफई का विनिर्माण करने की सुस्थिर प्रक्रिया संस्थापित है। उनका पीटीएफई गुणवत्ता की दृष्टि से सुसंगत है, जबकि याचिकादाता का उत्पाद गुणवत्ता की दृष्टि से अत्यधिक असंगत है। इसके अतिरिक्त जीआईपीएल द्वारा ओएओ हेलोपोलीमर से प्राप्त किया गया पीटीएफई विशेषकर 4 आरबी ग्रेड का है, जो कि जीआईपीएल के अनुसार असंगत होने के कारण उत्तम कोटि का माना जाता है। इस प्रकार याचिकादाता, रूस से आरोपित पाटित आयातों के कारण लाभ नहीं गंवा सकता है, बल्कि निकृष्ट कोटि के उत्पाद के परिणामस्वरूप लाभ गंवा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि महानिदेशालय इस सूचना का निदान करने में विफल रहा है।

83. याचिकादाता ने बताया है कि जब तक जांच यह सिद्ध नहीं कर देती है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन होने और घरेलू उद्योग को उससे परिणामी क्षति होने की संभावना है, तब तक पाटन-रोधी शुल्क को आगे बढाया जा सकता है।

- रूस से आयात भारतीय मांग का अत्यधिक हिस्सा बनते हैं जो निर्णायक समीक्षा के चरण में अत्यधिक है और उनका संभावित विश्लेषण किया जा सकता है।
- हाल ही में संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में पूर्णरूपेण वृद्धि हुई है।

- क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के साथ-साथ रूस के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है।
- संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू बिक्री कीमत में कटौती कर रही है।
- आयातों के फलस्वरूप बाजार में घरेलू कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण हुआ है।
- विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की एनआईपी से कम है। इस प्रकार इसके फलस्वरूप अत्यधिक क्षति मार्जिन है।
- वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर देने की स्थिति में पाटन और परिणामी क्षति होने की संभावना है।

➢ याचिकादाता ने यह निवेदन किया है कि आयातित ग्रेड और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेड 610 पर विचार करते हुए क्षति का प्रतिबंधित निर्धारण करना उपयुक्त नहीं होगा। मेसर्ज गुआरनीफ्लोन इंडिया प्राईवेट लिमिटिड (जीआईपी) द्वारा आयातित उत्पाद को, घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए जा रहे ग्रेडों का उपयोग करके परस्पर रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। चूंकि यह कंपनी घरेलू उद्योग के इन ग्रेडों का परस्पर रूप से प्रयोग कर रही है, याचिकादाता का यह निवेदन है कि इन ग्रेडों को कंपनी द्वारा आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जाए। जबकि पाटन मार्जिन के प्रयोजनार्थ यह उपयुक्त होगा कि जहां तक क्षति मार्जिन का संबंध है, संबद्ध ग्रेडों पर विचार किया जाए, निर्दिष्ट प्राधिकारी को भारत में समान वस्तु पर विचार करने के की आवश्यकता होती है। इस संबंध में यह निवेदन किया जाता है कि पाटन मार्जिन की कार्य-प्रणाली, गृह बाजार में याचिकादाता द्वारा निर्मित और आपूर्ति किए गए ग्रेड पर निर्भर करती है। तथापि, जहां तक क्षति मार्जिन का संबंध है, प्राधिकारी को याचिकादाता द्वारा निर्यातित ग्रेडों और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद के सभी समान ग्रेडों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। याचिकादाता द्वारा पेश की जा रही समान वस्तु में निम्नलिखित ग्रेड शामिल हैं और इसलिए यह आवश्यक होगा कि क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ इन पर विचार किया जाए । जहां तक पाटन मार्जिन का संबंध है, याचिकादाता को इस संबंध में वर्तमान कार्य-प्रणाली के बारे में कोई चिंता नहीं है।

84. एनआईपी का निर्धारण – उत्पादन की लागत पर विचारित केप्टिव इनपुट और फिर भी केप्टिव इनपुट पर 22 % प्रतिलाभ को शामिल नहीं किया गया है।

➢ **केप्टिव इनपुट का मूल्यांकन, उत्पादन की लागत पर किया जाता है -** याचिकादाता का यह निवेदन है कि समस्त केप्टिव इनपुट के मूल्यांकन उत्पादन की लागत पर किया गया है। इन निवेदनों के साथ प्रत्येक केप्टिव इनपुट के उत्पादन की लागत को दर्शाने वाला विवरण तथा इनपुट की बिक्री और केप्टिव अंतरण को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत किया गया है। इनमें यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक केप्टिव इनपुट का मूल्यांकन, उत्पादन की लागत पर किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई एनआईपी की समीक्षा करते समय याचिकादाता ने यह पाया है कि प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए याचिकादाता द्वारा उत्पादित और खपत की गई केप्टिव इनपुट पर 22% के प्रतिलाभ को नहीं जोडा गया है। इस संबंध में निम्नलिखित संबद्ध हैं।

चूंकि विद्युत, एएचएफ,क्लोरीन, क्लोरोफोर्म, आर-22, टीपीई सभी केप्टिव इनपुट, याचिकादाता द्वारा निर्मित है और इन केप्टिव इनपुट को उत्पादन की लागत पर अगले उत्पाद में अंतरित कर दिया गया है, याचिकादाता का यह निवेदन है कि एनआईपी का निर्धारण, इन केप्टिव इनपुट में 22% के प्रतिलाभ को जोड कर किए जाने की आवश्यकता है।

➢ **ऐसा प्रतीत होता है कि डीजीएडी ने इस पर विचार किया है कि केप्टिव इनपुट का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है और उसने इस कारण से केप्टिव इनपुट पर 22% के प्रतिलाभ को नहीं जोडा है -** ऐसा प्रतीत होता है कि

डीजीएडी ने इस पर विचार किया है कि केप्टिव इनपुट का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है। तथापि, वस्तु स्थिति यह है कि समस्त केप्टिव इनपुट का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है। इन निवेदनों के साथ विभिन्न केप्टिव इनपुट के उत्पादन की लागत को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है, जिनमें केप्टिव इनपुट की मात्रा और मूल्य और बिक्रियों (यदि कोई है) स्पष्ट निर्दिष्ट किया गया है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि कंपनी द्वारा केप्टिव इनपुट का मूल्यांकन, उसके उत्पादन की लागत पर किया गया है। यदि उत्पादन की लागत पर केप्टिव इनपुट का अंतरण किया जाता है तो प्राधिकारी को ऐसी इनपुट का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त परिसम्पतियों के लिए नियोजित पूंजी पर **22%** के प्रतिलाभ को जोडना होता है। इसलिए हमारा निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह इस तथ्य पर विचार करें कि समस्त केप्टिव इनपुट के मूल्यांकन उत्पादन की लागत पर किया गया है और सभी केप्टिव इनपुट में 22% के प्रतिलाभ को जोडने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि प्राधिकारी की यह सुसंगत पद्धति होती है कि वह इसकी अनुमति दे, यदि केप्टिव इनपुट को उत्पादन की लागत पर अंतरित किया जाता है।

याचिकादाता का यह भी निवेदन है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एनआईपी की रिट याचिकाओं में दिल्ली उच्च न्यायालय में दोहरे शपथपत्र प्रस्तुत किए हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ट्रेड नोटिस 01/2015 में भी इस पहलू का विश्लेषण किया है। जबकि विभिन्न वस्तुओं के भारतीय उत्पादकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया है कि (1) एनआईपी कानून स्वत: नियमावली के विपरीत है और इसलिए उसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए, (2) विभिन्न मामलों में एनआईपी कानून से डीजीएडी द्वारा किए जा रहे विवेचन कानून के असंगत है और डीजीएडी ने एनआईपी की कानून का पूर्ण समर्थन करते हुए इन रिट याचिकाओं में अस्पष्ट उत्तर प्रस्तुत किए हैं और यह बताया है कि निदेशालय निरपवाद रूप से केप्टिव इनपुट में नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ जोडता है।

निम्नलिखित रिट याचिकाओं में जिनमें एनआईपी कानून को चुनौती दी गई है, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए उत्तरों में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह बताया है कि इस संबंध में ''इस प्रकार'' और ''जैसा लागू होता है'' प्रासंगिक होते हैं। थिरूमलाई केमिकल्स लिमिटिड के मामले में उत्तर की संपूर्ण प्रति और अन्य मामलों में संबद्ध उद्धरण इन निवेदनों के साथ संलग्न हैं। कृपया यह नोट किया जा सकता है कि ये निदर्शी मात्र हैं। एनआईपी पर ऐसी अनेक रिट याचिकाएं हैं जिनको एक समूह में इकठ्ठा किया हुआ है और उनकी सुनवाई अब एक साथ की जा रही है। इन शपथ पत्रों में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह बताया है कि यदि केप्टिव रूप से उत्पादित इनपुट को उत्पादन की लागत के आधार पर अंतरित किया जाता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्पादन की उनकी लागत के अतिरिक्त केप्टिव रूप से उत्पादित उत्पादन में नियोजित पूंजी पर उचित प्रतिलाभ को जोडना होता है।

- अल्काली मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत सरकार और अन्य
- फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटिड और अन्य बनाम राजस्व सचिव और अन्य
- थिरूमलई केमिकल्स लिमिटिड और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य

पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 के प्रावधानों में संशोधन करने के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए सुझावों/टिप्पणियों पर परिचर्चा करने के लिए दिनांक 29.12.2015 को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई थी और इस बैठक में डीजीएडी के सभी अधिकारियों ने भाग लिया था। इस बैठक के परिणाम स्वरूप डीजीएडी द्वारा उसके कार्यवृत जारी किए गए थे। इस बैठक में सलाहकार (जीआर) ने भी भाग लिया था। इस बैठक के कार्यवृत डीजीएडी द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2016 के ईमेल द्वारा संप्रेषित किया गया था, जिसमें प्राधिकारी ने यह बताया है कि यदि घरेलू उद्योग उत्पादन की लागत पर केप्टिवली उत्पादित इनपुट के लिए आकलन करना चाहता है तो ऐसी इनपुट निर्मित करने के लिए प्रयुक्त सम्पदाओं के लिए नियोजित पूंजी पर 22% की दर से अतिरिक्त प्रतिलाभ को शामिल किया जा सकता है।

- **केप्टिव इनपुट पर 22% प्रतिलाभ जोडने के लिए स्थापित निदेशालय की पद्धति**

इस प्रकार यह स्थापित होता है कि केप्टिव इनपुट पर 22% प्रतिलाभ जोडने के लिए निदेशालय की पद्धति स्थापित है। निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया घरेलू उद्योग को दंडित नहीं करें और केप्टिव इनपुट में प्रयुक्त सम्पदाओं पर 22% प्रतिलाभ जोडे बिना एनआईपी का निर्धारण नहीं करें। याचिकादाता का यह निवेदन है कि एक उद्देश्यपरक और निष्पक्ष जांच प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के अनुसार संबद्ध सूचना मंगानी और एनआईपी का निर्धारण करना आवश्यक होता है। यदि केप्टिव इनपुट में प्रयुक्त सम्पदाओं पर 22% प्रतिलाभ जोडने की आवश्यकता होती है, तो उसे अवश्य जोडा जाना चाहिए।

- इस गलत अवधारणा के आधार पर कि केप्टिव इनपुट का मूल्यांकन बिक्री कीमत पर किया जाता है, केप्टिव इनपुट की लागत पर 22% प्रतिलाभ जोडने की अनदेखी की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि केप्टिव इनपुट की लागत में 22% प्रतिलाभ को इस गलत अवधारणा पर नहीं जोडा गया है कि केप्टिव इनपुट का मूल्यांकन बिक्री कीमत पर किया जाता है। तथापि, जैसा कि संलग्न विवरणों में स्पष्ट दर्शाया गया है, समस्त केप्टिव इनपुट का मूल्यांकन, उनके उत्पादन की लागत पर किया जाता है। मामले में दर्ज सूचना से भी ऐसा स्पष्ट पता चलता है कि केप्टिव इनपुट का मूल्यांकन, उनके उत्पादन की लागत पर किया गया है।

- सभी संबद्ध सूचना पहले से ही प्राधिकारी के रिकार्ड पर है।

85. **विद्यमान पाटन-रोधी शुल्कों को आगे बढाने की आवश्यकता** – याचिकादाता का यह निवेदन है कि प्राधिकारी कृपया विद्यमान पाटन-रोधी शुल्कों को आगे बढाने पर विचार करें। शुल्क में संशोधन करने का यह उपयुक्त मामला नहीं है, जिसके कारण इस प्रकार हैं, (1) जांच अवधि के बाद रूबल में तेजी से मूल्यह्रास हुआ है, (2) वर्तमान अवधि में आयात कीमतों में अत्यधिक गिरावट आई है, (3) जबकि जांच अवधि में केवल एक ग्रेड के उत्पाद का आयात किया गया है, जांच अवधि के बाद अन्य ग्रेड के आयात, काफी कम कीमत पर किए जा रहे हैं, (4) जांच अवधि के बाद पाटन और क्षति मार्जिन में वृद्धि हुई है और (5) निर्यातकों ने यह तर्क दिया है कि वर्तमान आयातों की मात्रा अत्यधिक नहीं है । इन निवेदनों के साथ क्षति अवधि के दौरान और दिसंबर, 2015 तक रूस से आयातों के विवरण संलग्न हैं। इनसे यह देखा जा सकता है कि जबकि जांच अवधि के दौरान केवल 4 आरबी ग्रेड के आयात किए गए हैं, जांच अवधि से पहले 4 पीएन ग्रेड के आयात, वास्तव में 4 आरबी ग्रेड से काफी कम कीमत पर किए गए हैं। 4 पीएन ग्रेड, याचिकादाता के 610 से तुलनीय है। इस प्रकार 4 पीएन ग्रेड के आयातों में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, 4 आरबी ग्रेड के लिए निर्धारित किए गए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से वास्तव में अधिक है। इस कारण से भी पाटन-रोधी शुल्क की मौजूदा मात्रा को बढाना उपयुक्त होगा।

86. **जांच अवधि के बाद गहन पाटन और क्षति** – याचिकादाता का यह निवेदन है कि रूस से विचाराधीन उत्पाद का पाटन अत्यधिक गहन हुआ है। याचिकादाता ने अपने निवेदनों के साथ आयातों का एक विवरण संलग्न किया है जिसमें दिसंबर, 2015 तक की अवधि के लिए सूचीबद्ध आयातों की मात्रा दर्शाई गई है। नीचे तालिका और रेखा चित्र में रूस से महीने वार आयात कीमतें दर्शाई गई हैं। इसमें यह देखा जा सकता है कि हाल ही की अवधि में आयात कीमत में तेजी से गिरावट आई है।

यूनिट रुपए प्रति किलो ग्राम

महीना	**सभी ग्रेड**	**4 आरबी ग्रेड**	**4 पीएन ग्रेड**
नवंबर, 2013	373.23	373.23	-
दिसंबर, 2013	373.98	373.98	-
अगस्त, 2014	403.52	403.52	-
कुल – अक्टूबर, 2013 से सितंबर 2014 (जांच	**385.40**	**385.40**	**-**

महीना	सभी ग्रेड	4 आरबी ग्रेड	4 पीएन ग्रेड
अवधि)			
नवंबर, 2014	411.43	411.43	-
दिसंबर, 2014	374.70	376.88	362.50
मार्च, 2015	358.82	358.82	-
कुल – अक्टूबर, 2014 से मार्च, 2015	**379.05**	**379.94**	**362.50**
अप्रैल, 2015	333.64	333.64	-
मई, 2015	333.64	333.64	-
जुलाई, 2015	331.56	340.53	314.83
अक्टूबर, 2015	324.14	-	324.14
कुल – अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015	**331.82**	**335.60**	**319.48**

- **जांच अवधि के दौरान सभी ग्रेडों के आयातों का नहीं होना** – याचिकादाता का यह निवेदन है कि वर्तमान जांच अवधि के दौरान भारत में केवल एक ग्रेड के विचाराधीन उत्पाद के निर्यात किए गए हैं। इसलिए घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए एक ग्रेड के आधार पर पाटन-रोधी शुल्क को लगाया जाना पर्याप्त नहीं होगा।

- **निर्दिष्ट प्राधिकारी के विगत मामले** - विगत में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटन-रोधी शुल्कों की समान मात्रा को आगे बढाया है। याचिकादाता, फ्रन्ट एक्सिल बीम के मामले में अंतिम परिणाम का हवाला देता है, जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटन-रोधी शुल्क की समान मात्रा को आगे बढ़ाया है।

- **रूबल में अत्यधिक मूल्यह्रास** - जांच अवधि के बाद रूबल में बहुत अधिक मूल्यह्रास हुआ है। इसलिए जबकि निर्यातक उसी कीमत पर निर्यात कर सकता है, आयात काफी कम कीमत पर होते होंगे। इसके परिणाम स्वरूप जांच अवधि के बाद रूबल में अत्यधिक मूल्यह्रास होने के कारण क्षति गहन हुई है।

- **शुल्क का रूप**

घरेलू उद्योग का यह निवेदन है कि पाटन-रोधी शुल्क को उसके विद्यमान रूप में आगे बढाया जाए ताकि उसकी अपवंचना रोकी जा सके और साथ ही सीमा शुल्क विभाग द्वारा उसे कारगर ढंग से संचालित किया जा सके।

87. प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी, पाटन मार्जिन के मूल्यांकन के संबंध में प्रकटन पश्चात विवरण के निवेदनों को नोट करते हैं और यह दोहराते हैं कि जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के ग्रेडों के लिए संरचित सामान्य मूल्य, रूस से प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर है, जिसे आगे याचिकादाता द्वारा प्रदत्त सूचना के साथ सहयोजित किया गया है। चूंकि रूस से उत्पादक/निर्यातक द्वारा भारत को निर्यातित विशिष्ट ग्रेड की बिक्री घरेलू बाजार में नहीं की गई है, इसलिए निर्यातित ग्रेड के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

क्षति का निर्धारण करने के संबंध में प्राधिकारी ने सभी संबद्ध क्षति प्राचलों का मूल्यांकन किया है और यह नोट किया है कि जांच अवधि के दौरान निर्यातित ग्रेड के फलस्वरूप कीमत में कटौती हुई है। घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और रूस से आयातित संबद्ध वस्तुओं की गुणवत्ता के संबंध में प्राधिकारी की यह अवधारणा है कि सदृश ग्रेडों की कीमतों के लिए उनकी तुलना की गई है और गुणवत्ता के मामले में रूस से आयातित संबद्ध वस्तुओं के अधिक गुणवत्ता युक्त होने के परिणाम स्वरूप कीमत में कटौती नहीं हुई है, क्योंकि उससे अधिक कीमत प्राप्त होती। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस से संबद्ध वस्तुओं के आयातक ने भारत में बिक्री करने के लिए घरेलू बाजार स्रोत से भी संबद्ध वस्तुओं को अधिप्राप्त किया है। घरेलू उद्योग द्वारा इन संबद्ध वस्तुओं के आयातक को, भारत की विदेश व्यापार नीति जिसे निर्यात योजना माना जाता है, के अंतर्गत उनके निर्यात उत्पाद के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयोग करने के लिए भी उपलब्ध कराया जा सकता था।

जहां तक रंजीत नगर में कैप्टिव इनपुट के उत्पादन के लिए प्रदान की गई परिसंपत्तियों के संबंध में प्रतिफल का अनुरोध करने संबंधी किए गए कंपनी के दावों का संबंध है, कंपनी को केन्द्रीय उत्पाद कर मूल्यांकन नियमावली, 2000 के नियम 8 और एक इकाई से दूसरी इकाइयों में कैप्टिव इनपुट के हस्तांतरण मूल्य को शासित करने संबंधी सीएएस 4 के संदर्भ में अपने दावों के बारे में पूछा गया था। कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना यह प्रमाणित करती है कि आर 22 (रंजीत नगर से दहेज तक स्थानांतरित इनपुट) के खपत मूल्य में लाभ घटक को पहले ही निर्मित कर दिया गया है और इस पर एन आई पी की गणना में पहले ही विचार किया जा चुका है। इस प्रकार, कंपनी की रणजीत नगर इकाई में इनपुट के उत्पादन के लिए लगी पूंजी पर उचित प्रतिबंध का दावा लाभ के रूप में पहले ही किया जा चुका है और इसीलिए इस संबंध में कंपनी का दावा उचित नहीं है

प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि वर्तमान निर्णायक समीक्षा, तीसरी निर्णायक समीक्षा है, लेकिन संबद्ध देश से अभी भी पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है और तुलना का उचित स्तर अर्थात ग्रेड से ग्रेड की तुलना करने से ऐसा नोट किया गया है कि उसमें सकारात्मक कीमत कटौती हुई है, जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार निर्णायक समीक्षा करने की संख्या और निरंतर पाटन-रोधी उपाय करने की अवधि प्रतिबंधित/सीमित नहीं है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाटन-रोधी शुल्क की मात्रा उचित है, जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के समकक्ष ग्रेडों की उचित तुलना की गई है।

घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि जांच अवधि के बाद 610 के समकक्ष अन्य ग्रेड का निर्यात किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि सुसंगत पद्धति के अनुसार जांच अवधि के दौरान गेड स्तर पर प्रत्येक ग्रेड की एक दूसरे के साथ उचित तुलना की गई है, विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र, केवल इस ग्रेड तक ही सीमित नहीं है। निर्धारित क्षति की मात्रा, सभी ग्रेडों पर लागू की जा रही है ताकि जांच अवधि में क्षति मार्जिन के वास्तविक आकलन के आधार पर पाटन के कारण हुई क्षति को दूर किया जा सके। यदि सघनता के कारण पाटन के पेटर्न में कोई परिवर्तन होता है, तो कोई भी हितबद्ध पक्षकार सामने आ कर बाद की तारीख में उसकी समीक्षा करवा सकता है।

घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि मौजूदा स्तर पर पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर जारी रखा जाए, प्राधिकारी की यह अवधारणा है कि संबद्ध वस्तुएं नितांत कीमत संवेदी हैं और जांच की किसी भी अवधि के दौरान यदि निर्यात कीमत में कोई अंतर होता है, तो सामान्य मूल्य और एनआईपी में भी अंतर हो सकता है। समीक्षा में चुनी गई जांच अवधि की व्यवस्था, सभी प्राचलों का व्यापक मूल्यांकन करती है और इसलिए पाटन और क्षति के मार्जिन में वास्तव में समस्त कीमत संबंधी अस्थिर प्राचलों को शामिल किया गया है, ताकि वे उचित और वास्तविक बन सकें। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन अत्यधिक उल्लेखनीय है और कीमत कटौती सकारात्मक है तथा ऐसा नोट किया गया है कि जांच अवधि के बाद भी यह सकारात्मक है।

प्राधिकारी ने भारत में आयातों के कारण जाँच अवधि के बाद की अवधि में और जाँच अवधि और जाँच अवधि के बाद भारत को तीसरे देशों को रूस से होने वाले आयातों के संभावित विपथन की स्थिति में संभावित क्षति का मूल्यांकन किया है। यद्यपि क्षति मार्जिन कम हुआ है परंतु उसका धनात्मक रहना जारी है जो जाँच अवधि के दौरान निर्धारित स्तर पर पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की जरूरत को न्यायोचित ठहराता है। प्राधिकारी मानते हैं कि जाँच अवधि के दौरान मूल्यांकन किए गए कमतर शुल्क के अनुसार पाटन या क्षति से कम स्तर पर पाटनरोधी शुल्क को लगाने से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण घरेलू उद्योग की क्षति की समाप्ति सुनिश्चित होगी।

निष्कर्ष

88. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना और किए गए निवेदनों और इस परिणाम में दर्ज किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपब्ध तथ्यों के आधार पर तथा पाटन के निरंतर बने रहने और उसकी परिणामी क्षति तथा पाटन के निरंतर जारी रहने/पुनरावृति होने की संभावना की स्थिति के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रधिकारी का यह निर्णय है कि –

(1) रूस से संबद्ध उत्पाद का पूर्णरूपेण और भारत में उत्पादन/खपत के प्रसंग दोनों में निरंतर पाटन हो रहा है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

(2) आयात, घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आयात, घरेलू कीमतों में ह्रास और उनका न्यूनीकरण भी कर रहे हैं।

(3) घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, निवेश पर प्रति लाभ, नकद प्रवाह और माल सूचियों के रूप में गिरावट आई है।

(4) रूस से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो रही है।

(5) यदि वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो रूस से विचाराधीन उत्पाद के निरंतर/गहन पाटन होने की संभावना है।

सिफारिशें

89. उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह विचार है कि रूस के संबंध में पाटन-रोधी उपायों को नीचे तालिका में विनिश्चित अनुसार बढाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए प्राधिकारी रूस से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर नीचे शुल्क तालिका में यथा विनिश्चित रूप में और तरीके से निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर लागू किए जाने की सिफारिश करते हैं।

90. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित तालिका में वर्णित ढंग और तरीके से प्राधिकारी इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से कम मार्जिन के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा नीचे तालिका के कॉलम 9 में निर्दिष्ट राशि के बराबर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्रमांक	उप-शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	विनिर्देशन	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	यूनिट	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	390461	पोलीटेट्राफ्लो रोथिलीन (पीटीएफई)	कोई	रूस	रूस	कोई	कोई	739.77	मी.टन	अमरीकी डालर
2.	390461	पोलीटेट्राफ्लो रोथिलीन (पीटीएफई)	कोई	रूस	कोई	कोई	कोई	739.77	मी.टन	अमरीकी डालर
3.	390461	पोलीटेट्राफ्लो रोथिलीन (पीटीएफई)	कोई	चीन जन.गण. को छोड कर कोई	रूस	कोई	कोई	739.77	मी.टन	अमरीकी डालर

91. केन्द्र सरकार द्वारा इस जांच परिणाम पर आधारित आदेश के विरूद्ध खिलाफ कोई अपील, संबद्ध सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी ।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2016

FINAL FINDINGS

Subject: Sun Set Review (SSR) of the Anti-Dumping Investigation concerning imports of "Polytetraflouroethylene or PTFE" originating in or exported from Russia

F. No. 15/2/2015-DGAD.—BACKGROUND

-The original investigation

1. Whereas, the original anti-dumping investigation concerning imports of "Polytetrafluoroethylene or PTFE" (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from Russia was initiated by the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) vide Notification No. 24/1/98-DGAD dated 22nd January, 1999. The preliminary finding was issued by the Authority, recommending imposition of provisional anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from Russia vide Notification No. 24/1/98- DGAD dated 9th June, 1999. The provisional duty was imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from Russia vide Notification No. 83/99-Customs dated 30th June, 1999. The final findings notification of the Authority was published vide Notification No. 21/1/1998 dated 13th October, 1999. The definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country vide Notification No. 141/99-Customs dated 30th December 1999.

The First Sunset Review

2. Whereas, on the basis of an application filed by Hindustan Fluorocarbons Ltd, the Authority initiated the first sun set review (SSR) investigation vide Notification No. 15/6/2003-DGAD dated 8th October, 2003 and recommended continued imposition of the anti-dumping duties vide Notification No. 15/6/2003-DGAD dated the 7th October, 2004 which was imposed by the central Government vide Notification No.110/ 2004-Customs dated 18th Nov, 2004.

The Second Sunset Review

3. Whereas, on the basis of an application filed by Gujarat Fluorochemicals Ltd, the Authority initiated the second sun set review (SSR) investigation vide Notification No.15/30/2008-DGAD dated 27th February, 2009 and recommended continued imposition of the anti-dumping duties vide Notification No. 15/30/2008-DGAD dated the 26th February, 2010 which was imposed by the central Government vide Notification No.57 /2010-Customs dated 3rd May, 2010.

The Ongoing 3rd Sunset Review

4. Whereas, the present petition was filed by Gujarat Fluorochemicals Ltd. (hereinafter referred to as "Petitioner") for initiation of the third sunset review and extension of period, modification and enhancement of existing anti-dumping duties on imports of "Polytetrafluoroethylene" (hereinafter referred to as PTFE or subject goods or product under consideration) from Russia (hereinafter referred to as subject country). The Authority initiated the third sun set review investigation vide Notification No. 15/2/2015-DGAD dated 13thApril, 2015.

The other related Anti- Dumping Investigation

5. In addition to the anti-dumping duty on Russia, the subject goods imported from China PR are also attracting anti-dumping duty since the year 2005.

A. PROCEDURE

6. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

i. The Authority received a duly substantiated Sunset Review application fromGujarat Fluorochemicals Ltd.for review and continuation of the duty in force on imports of PTFE from Russia.

ii. The petitioner submitted prima facie evidence in this regard requesting for review and continuation of the anti-dumping duty in force.

iii. The Authority intimated to the Embassy of Russia in New Delhi that it has received a petition from the domestic industry to initiate sunset review investigation against imports of the subject goods originating in or exported from Russia.

iv. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the petitioner to justify initiation of the investigation, initiated sunset review investigation against imports of the subject goods originating in or exported from Russia vide initiation notification dated 13th April 2015.

v. The Authority sent copy of the initiation notification dated 13th April, 2015 to the embassy of the subject country in India, known exporters from the subject country, known importers and other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.

vi. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of Russia in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.

vii. The known interested parties were requested to file questionnaire responses and make their views known in writing within the prescribed time limit. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to embassy of the subject country along with a list of known exporters/producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject country to respond within the prescribed time.

viii. The Embassy of Russia in India was informed about the initiation of the sunset review investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules with a request to advise the exporters/producers from Russia to respond to the questionnaire within prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the exporters was also sent to the Embassy of Russia along with the names and addresses of the known subject producers/exporters.

ix. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in Russia in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

- OAO HaloPolymer
- Hrast Ltd.
- Jampack Enterprises Ltd
- Kirovo-Chepetsky Khimichesky

x. In response to the initiation of the subject investigation, only OAO HaloPolymer from the subject country has responded by filing questionnaire response.

xi. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users/associations of subject goods in India calling for necessary information in accordance with the Rules:

Sr. No.	Importers/ users/ associations	Sr. No.	Importers/users/associations	Sr. No.	Importers/users/associations
1.	Meerut PTFE Products Pvt. Ltd	2.	Mechanical Packing Industries	3.	Poly Flouro Products
4.	Trestar Elektronics	5.	Mach Polymers	6.	Hindustan Polymers
7.	Tonk and Associates (P) Ltd.	8.	T & F Insulations Pvt. Ltd	9.	Kanan Polymer

10.	E.I Dupont India Pvt. Ltd	11.	Ghaziabad Flopol Insulations Pvt. Ltd	12.	Tefkot Cable Co.
13.	T & F Insualtions (P) Ltd.	14.	Sanghvi Techno Products	15.	Electro Polymer Pvt. Ltd
16.	Sanghvi Products	17.	Dip Flon Engg. & Co.	18.	Flouro Carbon Seals
19.	U. Goenka & Sons Ltd	20.	Jai Hind Polymers	21.	S. N. Enterprise
22.	Pragati International	23.	Dhwani Polymer Industries	24.	Precision Polymer Industries
25.	Venus Industries	26.	Aflon Engg Corporation	27.	Sarasons Engineering Industries
28.	Supremo Polymer Industries	29.	Packlon Industries	30.	Flouroflon Industries
31.	Guarniflon India Pvt. Ltd	32.	Angana International	33.	Vimal Polymer Industries
34.	Tee Coating Industries	35.	Gaurniflon India Pvt. Ltd	36.	Teflon Polymer Industries
37.	Pragati Plastic Pvt. Ltd	38.	Fluoroplast Industries	39.	Dynamic (GLS) Industries
40.	Automate Industries	41.	Automat Industries	42.	PTFE Rubber Works
43.	Dip Flon Engineering Co.	44.	Sanghvi-Techno Products	45.	Mechanical Seals & Packaging
46.	Plastic Product Engineering Co.	47.	Ganesh Flon	48.	Apex Polymers
49.	Corossion Engineers	50.	GMM Pfaundler Ltd	51.	Modern Industrial Corporation
52.	TFE Coating Industries	53.	Accurate Packing and Seals	54.	J. K. Polymer Industries
55.	Vee Bee Industries	56.	National Fluoromers	57.	Galaxy Thermoplast Pvt. Ltd
58.	V. V. Flouro Products	59.	Neo Wires & Allied Products Pvt. Ltd	60.	Moreflon Industries
61.	S. Industries	62.	Trimutri Polymers	63.	Polymers
64.	Kiran Engineering	65.	Igatwin Polymers Pvt. Ltd	66.	Garg Scientific Instruments
67.	Ashish Dies and Moulds	68.	Shradhha Polymer Industries	69.	Shyam Polymers
70.	Flouro-Tech Engineering Pvt. Ltd	71.	Trelleborg Sealing Solutions	72.	Babuji Electronics & Chemicals
73.	Mask Seals Co.	74.	Rollon Bearings Pvt. Ltd	75.	Floucon Polymers Pvt. Ltd
76.	Suflon Industries	77.	Visan Polymers	78.	Flourokraft Pvt. Ltd
79.	Aarathy Engg. Plastics	80.	HIL Polymers	81.	Indofab Engineers
82.	Kedar Polymers	83.	Rasaii Flow Lines	84.	PKN Caps & Polymers Pvt. Ltd
85.	Flouro Enterprises Pvt. Ltd	86.	Florotherm Industry	87.	Karnataka Polymer
88.	Bafna Industrial Stores	89.	Xomox Sansar Ltd.	90.	MIL Industries Ltd
91.	Industrial Spares Manufacturing & Trading Co.	92.	Hindustan Nylons	93.	Poly Fluoro Ltd.
94.	Finer Enterprises Pvt. Ltd	95.	Spareage India Ltd	96.	Siflon Polymers
97.	Three G Fluoropolymers Pvt. Ltd				

xii. In response to the above notification M/s. MIL Industries Ltd., M/s. Neo Wires & Allied Products Pvt. Ltd, M/s. Rollon Bearings Pvt. Ltd., M/s. Flouro-Tech Engineering Pvt. Ltd and M/s. Trimurti Polymers have filed submissions informing that they are not importing the subject goods from the subject country. The Importer Questionnaire response has been filed by M/s Guarniflon India Pvt. Ltd.(GIPL) stating imports of the subject goods made by them in the POI and past years from the subject country.

xiii. Exporters, producers and other interested parties who have not responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.

xiv. The Authority held an oral hearing on 2nd February 2016 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6 (6). The parties presented who presented their views in the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The Authority has considered submissions received from the parties appropriately. In lieu of the oral hearing on 2nd February, 2016 missed by M/s. GIPL, an opportunity for an oral hearing was provided to M/s. GIPL on19th February, 2016

xv. Additional information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary.

xvi. Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) data on details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation, was relied upon for computation of the volume & value of imports and injury analysis.

xvii. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry. The NIP has been determined by the Authority in terms of the principles laid down under Annexure III to the Anti-Dumping Rules.

xviii. The period of investigation for the purpose of the present review is October' 2013 – September' 2014 and the injury analysis has been done for the period 2011-12, 2012-13, 2013-14 and Period of Investigation.

xix. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation have been considered by the Authority, wherever found relevant, in this finding.

xx. Verification to the extent deemed necessary was carried out in respect of the information & data submitted by the domestic industry and also the cooperating importer.

xxi. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. The Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xxii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.

xxiii. The Disclosure Statement was issued on 31.03.2016 and communications were invited from the recipients of the Disclosure till 05.04.2016. Comments to the disclosure have been appropriately dealt with.

xxiv. *** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxv. The average exchange rate of 1US$ = Rs 61.65 prevailing during the POI has been adopted by the Authority in this finding.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Submissions made by the Domestic Industry

7. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to scope of the Product under Consideration:

a. The product under consideration in the present sunset review investigations is "Polytetrafluoroethylene" also known as "PTFE" in the market parlance originating in or exported from Russia. PTFE is produced in various grades, such as moulding grade, fine powder, aqueous dispersions and compound grades of filled grades. All grades that were included in the scope of the previous case and current duties are within the scope of the present review. PTFE is primarily used in electrical, electronic, mechanical and chemical industries for its unique characteristics like chemical inertness, electrical and thermal insulation, low coefficient of friction, non-toxic, non-flammable, resistance to radiation, low level of static and dynamic friction and outstanding electrical properties over a wide frequency range.

b. The Polytetrafluoroethylene (PTFE) is classified under subheading no 390461 under Customs Tariff Act and at subheading no. 39046100. Customs classifications are indicative only and, in no way, binding on the scope of the investigations.

c. The goods produced by the domestic industry are like article to the imported product in terms of parameters such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The consumers are using the two interchangeably.

d. The subject goods produced by them and the subject goods imported from the subject country are like article within the meaning of the Anti-Dumping Rules.

Submissions made by the other Interested Parties

8. None of the interested parties have made submissions with regard to scope of the product under consideration.

Examination by the Authority

9. The Authority notes that while various grades of the PUC are manufactured by the domestic industry, the imports from Russia during the POI are of a particular grade (4 RB), undertaken by M/s. GIPL, importer and manufactured by M/s. OAO HaloPolymer the producer. The comparison for 'injury' and 'dumping' assessment is undertaken on a grade to grade basis to ensure an appropriate 'apple to apple' comparison, the Authority notes that the present investigation is a sunset review investigation, and that as none of the interested parties has contested the meaning and scope of the product under consideration as defined by the Authority for a exclusion/ inclusion of any specific grade, the scope of the product under consideration is kept the same as was considered by the Designated Authority at the time of previous final findings:

Product under Consideration and Like Article

"5. The product under consideration in the present case is "Polytetrafluoroethylene (also referred to as PTFE) originating in or exported from Russia. PTFE is produced in various grades, such as molding grade, fine powder, aqueous dispersion and compound grades of filled grades. All grades that were included in the scope of the previous case and current duties are within the scope of the present review. PTFE is primarily used in electrical, electronic, mechanical and chemical industries for their unique characteristics which are chemical inertness, electrical and thermal insulation, low coefficient of friction, nontoxic, nonflammable, resistance to radiation, low level of static and dynamic friction and outstanding electrical properties over a wide frequency range.

6. The Polytetrafluoroethylene (PTFE) is classified under subheading no 390461 under Customs Tariff Act and at subheading no. 39046100. Customs classifications are indicative only and, in no way, binding on the scope of the investigations."

10. Anti-dumping duties are in force on imports of PTFE on the basis of recommendations earlier made by the Authority. The Authority notes that the petition is for review and continuation of the Anti-Dumping Duty in force and the issue of like article has been already dealt with in the original investigation.

11. The subject goods fall under Chapter 39 of the Custom Tariff Act under subheading no. 3904.6100. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the investigation and measures.

12. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

13. The domestic industry has claimed that the subject goods produced by the domestic industry are identical to the product under consideration being imported into India. The domestic industry has claimed that there is no known difference in petitioner's product and product under consideration exported from the subject countries and the two are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. There is no significant difference in the subject goods produced by the petitioner applicant and those exported from the subject countries and both are technically and commercially substitutable.

14. The Authority holds from the information available on record that the product under consideration produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject country. Product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. It is further noted that the Designated Authority has examined the issue of product under consideration and like article in the previous investigation, which is relied upon. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are held as "like article" in terms of the Rules. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably and are like article within the meaning and scope of Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Submissions made by the Domestic Industry

15. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to scope of the Domestic Industry and Standing:

a. The petition has been filed by Gujarat Fluorochemicals Ltd.The Petitioner is a major producer of the subject goods in India. There is only one more company, Hindustan Fluorocarbons Ltd., which produces the subject goods. However, the production of the subject goods by the petitioner, GFL constitutes around 98% in domestic production in the investigation period. The petitioner satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules and the standing to file the present petition and the participating companies constitute "Domestic Industry" within the meaning of the Rules.

b. Domestic industry has not imported the subject goods during the POI. Also the domestic industry is not related (either directly or indirectly) to any exporter of product under consideration in the subject country or importer in India.

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

16. None of the interested parties have made submissions with regard to scope of the Domestic Industry and Standing.

Examination by the Authority

17. Rule 2(b) defines domestic industry as under: -

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

18. Authority notes that Gujarat Fluorochemicals Ltd. has not imported the subject goods from the subject country, nor this company is related to an exporter or importer of the subject goods.

19. The Authority notes that the petitioner satisfies the requirement of standing under the Rules and constitutes the domestic industry as the production of the petitioner company constitutes around 98% of

Indian production. The Authority, therefore, holds Gujarat Fluorochemicals Ltd. as constituting domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) and Rule 5 of the Rules supra.

D. CONFIDENTIALITY

20. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied with regard to claim on confidentiality, the same has been allowed.

E. MISCELLANEOUS ISSUES

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

21. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the miscellaneous issues:

a. Guarniflon India Pvt. Ltd. (GIPL) is the major procurer of PTFE from Gujarat Fluorochemicals Ltd. GIPL will be keen to procure PTFE locally if the prices are competitive and the quality reasonable. Price is an important determinant in every business decision, whether in international or domestic industry, especially in the area of commodities like PTFE that are currently witnessing decline in prices.

b. Domestic manufacturer is a multi-product company and accounts for around 98% of the total production of domestic PTFE, Hence, the imposition of ADD seems like manufacturer's concern and also the financial implications may not be solely attributable to the one product.

c. Retention of ADD will impede development of PTFE market in India. ADD is currently USD 3.46 for per unit kg of Russian resin. Cost of procurement is approx. USD 4.50 per kg. Hence, the ADD rate is almost 77% of the actual cost and is difficult to justify.

d. GIPL is not eligible to avail any benefits for deemed exports due to the nature of its transactions. It operates in domestic tariff area. The sales comprise of direct exports and local sales. It has not sold the products to either an SEZ company or to any project that has deemed export status.

e. Between Apr 2013 and Dec 2014, GIPL procured PTFE resin from an associated enterprise Industrial Plastics and Machine. HaloPolymer offered attractive prices but required payment in advance so IPM contracted supplies for itself and for GIPL. HaloPolymer invoiced on IPM and consigned PTFE directly to GIPL. GlPL used to avail credit period from IPM and paid them over 90/180 days. Since March 2015, Halo Polymer has started supplying directly to GIPL and the payments currently are being done within 50 days from the date of the bill of lading.

f. Halo Polymer’s plant is a relatively old plant and processing of polymers has stabilized over a period of time. Different batches of their products are consistent in terms of quality. GIPL buys substantial quantities from GFL and have found that there is an inconsistency in quality in different batches of the product from time to time. Also both 4RB and lnoflon 610 are similar in chemical composition but on account of inconsistencies, 4RB is perceived to be a better quality resin. Hence, the price difference between 4RB and lnoflon 610 should be similar. Most of the GIPL exports are to Europe and USA where customers have found 4RB based products to be extremely satisfactory.

Examination by the Authority

22. The Authority notes that the sole responding importer has also contended that it is the price competitiveness and quality of the goods of the imports of the product that is leading to imports and that price is an important consideration in procurement of goods. The Authority therefore, has examined that if such low priced imports are at dumped prices and are likely to cause injury to the domestic industry, the Anti-dumping duty in force may be extended. The Authority for the purpose of comparison has undertaken comparison between comparable grades of the PUC.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

Normal Value

Submissions made by the Domestic Industry

23. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard:

a. Efforts were made to get evidence of price of product concerned in the domestic markets of Russia. Efforts were also made to get any evidence of price from published sources. But there is no publication which provides prices of the product under consideration in Russia. The product prices are not publicly available.

b. The prices are transacted between the producer and consumers and therefore the same are not in public domain. Thus, no reasonable, authentic and accurate information could be obtained from published sources about the actual transaction-selling price of PTFE in the domestic markets of Russia. The normal value has therefore been determined on the basis of estimates of cost of production, adjusted for selling, general & administrative expenses and profit.

Submissions made by exporters, importers and other interested parties

24. The following submission has been made by the interested party in this regard:

a. Halo Polymer has given details of pricing at Ex-Factory level which could have been relied upon by the domestic industry for the determination of normal value. Further, domestic industry has taken into consideration the CIF value of the imported goods and hence freight and other margins must be knocked off. However, it is standard to accept the CIF value for landed cost approximation and FOB value is not calculated in each instance of determination.

Examination of the Authority

25. Under section 9A (1) (c) normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Normal Value of all producers/exporters in Russia (including M/s. OAO Halo Polymer).

M/s. OAO Halo Polymer has submitted the questionnaire response as a producer of subject goods but its associated exporter i.e. M/s. Industrial Plastics USA has not filed any questionnaire response. The producer has provided details of the grade/grades of the subject goods exported to India during POI and the Cost of production of the same. There are reportedly no domestic sales of the said grade in Russia. The Authority has therefore correlated the claim on cost of production by the above producer with the claims made by the Domestic Industry and construct the normal value. The cost of production provided by the producer captures all costs and by adopting the cost of production along with 5% profit on the cost of production claimed, the Normal Value of the Subject goods is computed as *** $/MT. As none other producers have responded and also that all exports of subject goods to India during the POI are of the same producer, the above stated computed Normal Value is adopted for all producers/exporters from Russia.

Export price for all producers-exporters from Russia

26. Based on the information furnished in the exporter questionnaire responses, the Authority notes that during the POI, M/s. OAO Halo Polymer exported a total quantity of ***MT of subject goods produced at OAO Kirovo-Chepetky Chemical Plant, to India for a total value of US$ ***.

M/s. GIPL has also provided questionnaire response informing that 120 MT of the subject goods manufactured by M/s. M/s. OAO Halo Polymer were imported by them in POI and rest later outside POI. However, the date of clearance of balance imports when correlated with DGCI&S data are found within the POI. The Authority has therefore correlated the data specifically with reference to the DGCI&S data and noted that as per DGCI&S data the total imports made correlate with the Producer's data and therefore holds that DGCI&S data along with the adjustments claimed by the domestic industry as also compared with the data provided by the producer for evaluation the Ex-Factory export price.

27. The Authority has determined the Ex-Factory Export Price in respect of all producers/exporter of subject goods produced in Russia as per the DGCI&S data on imports during the POI as stated above. The quantity and CIF price as per DGCI&S is considered as are 171.6 MT and ***$/MT. The adjustments on ocean freight, ocean insurance @ 0.5 % of CIF, inland freight @ 1 % of FOB, Commission @ 2 % of FOB, Port expenses @ 0.5% of FOB, and Bank charges @ 0.2 % of FOB to an extent of ***$/MT, ***$/MT, ***$/MT, ***$/MT, ***$/MT and *** $/MT respectively have been considered. Accordingly, after making the due adjustments, the weighted average net export price at Ex-Factory level in respect of all exporters of subject goods manufactured in Russia, is determined as US$ *** per MT.

Dumping Margin

28. Considering the normal value and export price as determined above, the dumping margin is as follows:

Particulars	Unit	All Producers/ exporters in Russia
Normal Value	US$ per/ MT	***
Export Price	US$ per/ MT	***
Dumping Margin	US$ per/ MT	***
Dumping Margin	%	***
Dumping Margin	% Range	100-150

ASSESSMENT OF INJURY, CAUSAL LINK AND LIKELIHOOD OF CONTINUATION OF INJURY

G. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

Submissions made by the domestic industry

29. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard:

a. Demand or apparent consumption of the product in India has been defined as the sum of domestic sales and imports from all sources. Exports made by the Indian Producer have been excluded from the computation in order to ascertain apparent consumption. The demand so assessed shows that demand for the product under consideration over the injury period has increased throughout the injury period.

b. The import volume of Russia has been quite significant throughout the present injury period.

c. Imports of the product under consideration from subject country have once again increased in absolute terms in recent period.

d. The demand/apparent consumption of the subject goods has increased over the injury period.

e. There is increase in imports is despite Anti-dumping duty earlier imposed. Under the circumstances and given positive price difference, cessation of Anti-dumping duty shall imply significant increase in imports.

f. The imports of the product under consideration have increased over the injury period. Further, the imports in absolute terms are quite significant.

g. The factors relevant to likelihood of dumping are relevant to the likelihood of injury as well in the present case and the same are relied upon.

h. Imports made into the domestic market have been made at dumped prices despite imposition of anti-dumping duty.

i. Producers from subject country have significant capacity which establishes that in the event of revocation of duties, exports to India will intensify.

j. The exporters from subject country are exporting the product under consideration to third country at dumped prices.

k. Both dumping margin and injury margin in case of exports from Russia to third countries is positive.

l. Both dumping margin and injury margin in the current POI are positive and significant in case of subject country.

m. The price undercutting without prevailing anti-dumping duties is positive.

n. The import prices are materially below selling price of the domestic industry. The consumers would therefore switch to imported product in the event of cessation of anti-dumping duty which will lead to significant increase in imports of the product.

o. The domestic industry is already suffering price depression due to dumped import prices which are even below cost of sales of the domestic industry. In case of cessation of anti-dumping duty, the domestic industry shall have to reduce their selling price further to compete with dumped imports, driving it even below the cost of sales; leading to severe price injury.

p. The anti-dumping duty in various investigations concerning PTFE are:

i. First/original case - Rs. 5.20 per kg

ii. First SSR- US$ 12.66 per kg. benchmark form

iii. Second SSR - US$ 3.42 per kg.

q. The quantum of anti-dumping duty in the first case was quite low, thus, resulting in continued de-facto no protection to the domestic industry. Further, in the first sunset review, the duty was on benchmark basis and therefore remained redundant for full period of duty. Thus, out of 15 years, 10 years was a period of redundant protection and it was only for last 5 years that domestic industry has been protected. Also, in the facts pertaining to present case, there is a clear evidence of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty.

r. Further, there have been numerous cases wherein USA has imposed anti-dumping duty and where fourth sunset reviews were scheduled and the anti-dumping duties have been in operation in USA for much longer period.

s. The capacity expansions are not limited to the domestic market. The domestic industry is having significant exports for the PUC. In any case, the domestic industry is not concerned with the imports that are being made in the country, but to the price at which such imports are being made in the Country. There is massive decline in the import price.

t. Exports by Russian exporters constituted 5% of Indian demand, which cannot be considered insignificant at the stage of sunset review. In fact, the volumes are significant enough even in an original investigation. At the stage of sunset review, it is well established legal position that it is not the volume of import, but the price of import that is relevant for the likelihood analysis.

u. The domestic industry has segregated its injury in domestic and exports. The claimed injury is with regard to performance.

Submissions made by the exporters, importers and Other Interested Parties

30. Following are the submissions made by the other interested parties in this regard:

a. The present investigation was originally initiated in 1999. Three SSRs have been initiated since then and the anti-dumping duty on the subject goods continues. But, the domestic industry is yet not able to revive, whereas the imports from subject country has decreased from 334(MT) in the year 1999 to 172(MT) in the

year 2015 which shows that Russian exporters do not have any interest in India market and hence there no justification for levy of ADD again.

b. As per the technical production literature, the grade RB 4 of the imported subject goods is a final/ finished general purpose compound. Matching equivalent grade produced by the domestic industry is 610. Both these grades are utilized by M/s Guarniflon India Pvt. Ltd., the only importer of the subject goods from the subject country in the POI in the manufacturing of similar intermediate products. The Authority for the purpose of evaluating injury margin compares NIP of the equivalent grade of Domestic Industry with the landed value of imported grade.

c. Domestic Industry started its commercial production in 2008-09 with a capacity of 8000 (MT). Further, they increased the capacity to 12000(MT) and then to 16000(MT). Such increase in capacity was not warranted, as demand in India is only 3000-3500(MT). In order to run at full capacity, the Domestic Industry must export around 13000 MT, even if they get all domestic sales which is not possible because of global recession in demand. Despite the heavy anti-dumping duty on all sources of imports domestic industry continued to suffer because of their excess capacities. Even during 2014-15 domestic industry has increased its production by around 37%.

d. OAO HaloPolymer exported 172 MT (4.5% of domestic demand) of PUC to India during POI which was ***% of domestic industry production. Also, the export was at a very high price.

e. There is a sharp decline in exports performance of the Domestic Industry during period of investigation and the same is the main cause of injury.

f. GIPL submits that the pro-rata increase/decrease should be considered and not the change in imports on absolute terms. Relying on the data submitted by domestic industry, it can be seen that:

i. import has been insignificant

ii. pro-rata calculation doesn't yield a clear rising curve, and

iii. increase in demand is unrelated to alleged imports over the injury period.

g. The year-over-year imports from Russia constitute a negligible portion of the total imports. The year-over-year growth of DI has been positive on volume parameters but negative on price parameters due to disparity in capacity utilization. GIPL's imports from Russia are only for export purposes after processing and so it can't impact the pricing in the local market.

h. The price effect seems to be a result of additional capacity created in domestic industry whereas the optimal utilization is lacking and is resulting into higher per unit cost of production. This also seems to be the reason for inventory piling.

i. There is no causal connection between the alleged dumping and the injury to domestic industry.

31. **Submissions by the trade representation of the Russian Federation in the Republic of India-**

- **There is absence of dumping –**

- Initiation of review in the absence of sufficient and reliable evidence of dumping has features of violation of Articles 5.2 and 5.3 of the Anti-Dumping Agreement.

- While demand increased by 30 index points from 2011 to period of investigation the overall volume of imports remained at the level of 2011.

- The Volume of import of the product from Russia during the period 2013-2014 was significantly lower (by 30-37%) compared with the period of the original investigation.

- The review in respect of the product should be stopped according to the article. 5.8. of the Anti-Dumping Agreement due to lack of sufficient evidence of dumping.

- **There is absence of Injury –**

- There was an increase in sales in India of the Petitioner by 80 index points as well as other Indian producers by 20 index points on the background of maintenance of the volume of imports at the same level.

- The economic indicators of the Indian industry reflect the positive development of the industry.

- Moreover, last years the petitioner made some purchases, acquisitions and investments that confirm its positive development.

- Taking into account the above-mentioned facts the review in respect of the product should be terminated according to the article 5.8. of Anti-Dumping Agreement due to lack of sufficient evidence of damage.

- **There is absence of casual link between import of PTFE from Russia and possible injury of the Indian Industry –**

- Possible injury of Gujarat Fluorochemicals Ltd. doesn't associate with import of PTFE from Russia. In accordance to the Annual Report of the petitioner for 2013-2014 some of the significant threats for PTFE segment include further capacity expansions in China and the impact of such expansion on PTFE prices. Indeed. China influences the world market of PTFE at a large extent, that leads to decrease of its prices.

- Russian producers doesn't have an intension to decrease prices on the Indian market, they don't export with dumping

- On the basis of the requirements of Art. 5.8 of Anti-Dumping Agreement we request to terminate the review due to the absence of evidence of dumped imports from Russia, injury of the petitioner and causal link between imports from Russia and the alleged injury.

Examination by the Authority

32. In the injury analysis, the Authority has addressed various submissions made by the interested parties. The specific submissions made by the interested parties, and considered relevant, are addressed by the Authority as below:

a. As regards submission of the other interested parties concerning existence of anti-dumping duties since long, the Authority notes that the rules require the Authority to consider recommendations for extension of anti-dumping duty so long as the investigation establishes that the dumping and consequent injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of anti-dumping duty. The duty can be withdrawn even before expiry of five years, if it is established that dumping and consequent injury to the domestic industry is unlikely. Further the Authority examines whether the injury likelihood and continuance is only on account of dumping or factors other than dumping.

b. As regards submission of the other interested parties concerning the capacity expansion of the domestic industry, the Authority notes that it is not limited to the domestic market only and that the domestic industry is having significant exports of the PUC. The Authority determines the NIP keeping in view the relevant Anti-dumping rules to address the issue of any such nature. Further the Authority notes that it is concerned with the price at which the dumped imports are being undertaken in the Country.

c. As regards submission of the other interested parties concerning the insignificant share of exports by Russian exporters in the Indian demand, the Authority notes that the exports from the Russian constituted 4.5% of Indian demand, are significant at the stage of sunset review and for a likelihood analysis the price of dumped imports and its likely continuance is relevant. In fact, the volume is sufficient even in an original investigation. At the stage of sunset review, rather that the volume of import, the price of import is more relevant for a likelihood analysis.

d. As regards submission of other interested parties concerning decline in export performance of the Domestic Industry during period of investigation, the Authority undertakes injury analysis separately for export and domestic performances. Further to ensure an apple to apple analysis to strengthen the linkage between dumped imports and its injury/continued injury the Authority adopts grade to grade comparison.

33. In consideration of the various submissions made by the domestic industry in this regard, the Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.

34. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers

of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

35. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry Para (iv) of Annexure-II of the Anti-Dumping Rules states as follows.

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

36. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.

37. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

38. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis in case of a review as well. The Authority has, therefore, determined injury to the domestic industry considering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. The Authority therefore further examines whether the existing anti-dumping measure is sufficient or not to counteract the dumping which is causing injury.

39. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has examined injury to the domestic industry by considering information relating to Gujarat Fluorochemicals Ltd. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports are examined as follows: -

H. Volume Effectof Dumped

Imports volumes and market share in imports

a) Assessment of Demand/Apparent Consumption

40. The Authority holds that for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India has been defined as the sum of domestic sales and imports from all sources. Exports made by the Indian Producer are excluded from the computation in order to ascertain apparent consumption. The demand so assessed is given in the table below:

Particulars	Units	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Demand					
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***

Sales of Other Indian Producers	MT	***	***	***	***
Imports from Subject country - Russia	MT	8	7	104	171
Imports from Other Country attracting ADD - China PR	MT	891	897	1,171	1,136
Imports from other countries	MT	964	1,080	976	764
Total Demand	MT	3,269	3,852	4,286	4,510

41. The Authority notes that the aforesaid demand so assessed indicates that demand for the product under consideration over the injury period has increased throughout the injury period and decline in demand as a cause of injury to domestic industry may not be a factor of injury.

b) Import volume & market share

42. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure II (ii) of the anti-dumping rules provides as under:

"While examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India"

43. The import volumes for the injury period, considering the transaction wise data provided by DGCI&S are as under:

Particulars	Units	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Market share in Demand					
Sales of Domestic Industry	%	***	***	***	***
Sales of Other Indian Producers	%	***	***	***	***
Imports from Subject country – Russia	%	0.24	0.18	2.43	3.79
Imports from Other Country attracting ADD - China PR	%	27.26	23.29	27.32	25.19
Imports from other countries	%	29.49	28.04	22.77	16.94

From the above information, the Authority holds that the import volume of Russia have been quite noticeable throughout the present injury period. Further, it is also noted that imports of the product under consideration from subject country have also increased in absolute terms in recent period. The demand/apparent consumption of the subject goods has increased over the injury period. It is noted that the imports have been made under the advance license route. Even though the imports are under the advance license route the Authority considers this as an opportunity loss of possible sales of Domestic Industry who could have sold an equivalent grade of subject goods to the importer.

c) Market Share in Demand

44. The Authority holds that the market share of the domestic industry has increased over the injury period from 38.61 % in 2011-12 to 50 % in POI. The market share of Russian imports has also increased over the injury period being 0.24 % in 2011-12 to 3.79 % in POI.

Particulars	Units	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Sales of Domestic Industry	%	***	***	***	***
Sales of Other Indian Producers	%	***	***	***	***
Imports from Subject country - Russia	%	0.24	0.18	2.43	3.79
Imports from Other Country attracting ADD - China PR	%	27.26	23.29	27.32	25.19
Imports from other countries	%	29.49	28.04	22.77	16.94

I. Price Effect

a) Price effect of dumped imports and impact on domestic industry

45. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject country have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis, the cost of sales, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the subject goods manufactured by the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject country for equivalent grades to ensure an apple to apple comparison. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of the dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission incurred by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been considered for the domestic industry in terms of Annexure III of the Anti-Dumping Rules is provided on a confidential basis to the domestic industry as in Annexure IV A.

Price undercutting

46. Price undercutting has been assessed by comparing the import price with the domestic selling price in India of the subject goods during the period of investigation. It would be seen that the landed price of imports is lower than the selling price of the domestic industry. The Authority has undertaken price undercutting analysis as below:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Landed value without ADD	Rs./Kg	1,154.72	657.56	406.63	419.33
Net Selling Price (WA)	Rs./Kg	***	***	***	***
Net Selling Price (CG)	***	***	***	***	***
Price undercutting without ADD (WA)	Rs./Kg	***	***	***	***
Price undercutting without ADD (CG)	Rs./Kg	***	***	***	***
Price undercutting without ADD(WA)	%	***	***	***	***
Price undercutting without ADD (WA)	% Range	Negative	0-10	25-35	20-30
Price undercutting without ADD (CG)	%	***	***	***	***

Price undercutting without ADD (CG)	% Range	Negative	Negative	10-20	10-20

WA: Weighted average CG: Comparable goods

47. The Authority notes that the landed price of imports (after including basic customs duties) from the subject country have been below the weighted average subject goods selling prices and comparable grade selling price provided by the domestic industry during POI and 2013-14, thus resulting in price undercutting.

Price suppression/depression

48. The price suppression and price depression effect of the dumped imports has also been examined with reference to the cost of sales, as compared with net sales realization and the landed values of the subject goods from the subject country in relation to injury period including POI.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Landed Value	Rs./Kg	1154.72	657.76	406.63	419.33
Trend	*Indexed*	*100*	*57*	*35*	*36*
Cost of Sales (WA)	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	105	104	103
Cost of Sales (CG)	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*105*	*104*	*103*
Selling price (WA)	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	69	57	56
Selling price (CG)	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	59	51	50

49. The Authority notes that the landed price of imports has continuously declined over the injury period though cost of sales of the domestic industry remained more or less static with somewhat marginal increase. On the other hand, selling price of both comparable grade and overall weighted average of all grades has continuously declined in tandem with the landed value in order to protect market share. Therefore, the increase in cost of sales could not be passed on to the users as the selling price of the domestic industry remained depressed.

50. The Authority further notes that the imports have led to depressing and suppressing effect on the prices of the domestic industry in the market. Whereas the cost of production has increased over the injury period, the selling prices have significantly declined. The Authority also notes that the domestic producer had attained super profits during POI.

J. Examination of Economic Parameters relating to Domestic Industry

51. Annexure II to the Antidumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the

magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

a) Production, Capacity, Capacity utilization, Sales

52. Performance of the domestic industry with regard to Production, Capacity, Capacity utilization and Sales are as follows:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Capacity (in terms of TFE)	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*135*	*135*
Production (TFE)	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*77*	*88*	*110*
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*77*	*65*	*82*
Domestic Sales (All Grades)	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*136*	*147*	*179*

53. From the above, the Authority notes that the production of the domestic industry declined in 2012-13 and increased thereafter. Also, the capacity utilization of domestic industry declined till 2013-14, but increased thereafter. Therefore, production and capacity utilization, the dumped imports have not made any adverse impact during POI on an end to end analysis. The Authority also notes that the company had expanded its capacity mainly to cater to the export demand and the under-utilization of capacity is mainly attributable to depressed global demand for the PUC.

b) Market Share

54. The Authority notes that the market share of the domestic industry has increased over the injury period as so as the market share of imports over the injury period.

Particulars	Units	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Sales of Domestic Industry	%	***	***	***	***
Sales of Other Indian Producers	%	***	***	***	***
Imports from Subject country – Russia	%	0.24	0.18	2.43	3.79
Imports from Other Country attracting ADD - China PR	%	27.26	23.29	27.32	25.19
Imports from other countries	%	29.49	28.04	22.77	16.94

a) Profits, return on investment and cash flow

55. Performance of the domestic industry in respect of the above parameters is summarized as follows:

For the comparable Grade

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*105*	*104*	*103*
Selling price	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*59*	*51*	*50*
Profit/(Loss)	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*26*	*14*	*13*
Profit/Loss	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*31*	*15*	*18*
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*33*	*16*	*20*
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*27*	*14*	*18*

Composite for all Grades

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*129*	*131*	*127*
Selling price	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*70*	*58*	*57*
Profit/(Loss)	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*28*	*6*	*7*
Profit/Loss	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*69*	*15*	*23*
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*79*	*25*	*34*
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*5*	*1*	*2*

56. On the basis of the above, the Authority notes that the company earned super profits during base year since the ROI was above 100% which gradually declined over the injury period, though it remained moderately good for the comparable grade. The composite profitability for all grades deteriorated though it remained positive throughout the injury period. The reasons for earning super profit in the base year 2010-11 has been stated in the Annual Report of the company that due to shortage of the PUC in the international market its volume and prices surged significantly both in the export market and domestic market.

57. The Authority further notes that the domestic industry faced decline in profits with respect to domestic sales in view of decline in import price of the product under consideration. With dumped imports entering the Indian market, the domestic industry, in order to sustain in the market, has to sell the goods at lower prices. The domestic industry is thus prevented from raising its prices. In fact, while costs increased, selling prices declined. It is also noted that the return on investment and cash profits have followed a trend almost the same as that of profits. Return on investment and cash profits have also deteriorated during this period. However the Authority notes that during base year, the domestic industry earned super profits.

b) Inventories

58. From the information given below all grades of PUC, the Authority notes that inventory with the domestic industry have been increasing.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Average Stock	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*189*	*177*	*202*

c) Employment, Productivity and Wages

59. From the information given below for all grades of PUC, the Authority holds that employment with the domestic industry has remained almost at similar levels.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Employment	Nos.	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*110*	*92*	*100*
Salary & Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*110*	*36*	*37*

d) Growth

60. Information with respect to growth of various parameters is as follows:

Growth	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
In Production (Gross without TFE)	%	-	(32)	7	23
In Domestic Sales Volume	%	-	36	8	22
In Selling price domestic	%	-	(31)	(17)	(1)
In Cost of sales domestic	%	-	12	2	(3)
In Average stock	%	-	89.06	(6.45)	13.95

61. The Authority notes that the growth indices of the Domestic Industry have shown variation, being positive in volume parameters and negative in price parameters.

e) Ability to raise capital investments

62. The Authority holds that according to the information furnished by the petitioner company, the domestic industry is already holding sufficient capacity, and that fresh investments are not being envisaged in future.

f) Level of dumping & dumping margin

63. The Authority holds that the dumping margin from subject country is far more than de-minimus rather quite substantial. The impact of dumping on the domestic industry is also witnessed in terms of price undercutting.

K. Causal Link

64. As per the AD Rules, the Authority is, inter alia, required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It was examined whether these other parameters listed under the Rules could have contributed to injury to the domestic industry. This being the 3rd Sunset Review, the Authority finds it appropriate to re-establish the causal link between dumped imports and injury. It is found that:

i. **Volume and price of imports from other countries -** The imports of product under consideration from subject country and China are attracting anti-dumping duty. Third country imports are primarily from USA and EU, are at significantly higher prices.

ii. **Demand of the product –** The Demand for the product under consideration has shown positive trend.Since there is no contraction in demand, possible decline in demand cannot be considered as a reason of injury to the Domestic Industry.

iii. **Changes in the pattern of consumption: -** The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change.

iv. **Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers: -** There is no trade restrictive practice, which could contribute to the injury to the domestic industry. However, the Authority notes that domestic industry is a dominant market player in domestic market and commands *** of global capacity for PUC.

v. **Developments in technology: -** Technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.

vi. **Export performance: -**The claimed injury to the domestic industry is on account of domestic operations.In any case, the petitioner has provided costing and injury information for domestic sales separately. Hence, claimed injury to domestic industry cannot be attributed to exports.

vii. **Performance of other products produced and sold by the domestic industry: -**Information provided in this petition contains information with regard to subject goods only.

Magnitude of Injury and Injury Margin

65. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during POI. For the purpose of apple to apple comparison, the Authority has compared the grade imported in the country i.e. 4 RB. from the subject country with the virgin granular grade i.e. 610 of the domestic industry used for general moulding applications. Injury margin has been accordingly determined considering the same grade and time period. The injury margin on the basis of weighted average for the aforesaid grade shows as follows.

Particulars	Unit	Amount
Non Injurious Price	US$ per MT	***
Landed Price	US$ per MT	***
Injury Margin	US$ per MT	***
Injury Margin	%	***
Injury Margin	% Range	10-15

66. From the aforesaid, the Authority holds that during the POI, the injury margin in respect of imports of PUC of the aforesaid grade manufactured by all producers/ exporters from Russia is positive.

Material Injury

67. The Authority notes that imports from the subject country have increased and have remained noticeable despite anti-dumping duty, both in absolute terms and in relation to production/consumption in India. Landed price of imports are below the selling price of the domestic industry. Imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market. The imports are depressing and suppressing the prices of the domestic industry in the market. There is decline in the import prices over the years and resultantly, the performance of the domestic industry declined in terms of profits, return on investments, cash flow and inventories as compared to the base year. However during POI, ROI is almost near to the reasonable return allowed as per NIP rules. The material injury is evaluated and qualified for the grade equivalent to the grade imported in the country.

L. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

Submissions by the Domestic Industry

68. The domestic industry submitted as under in support of its claim of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:

i. The factors relevant to likelihood of dumping are relevant to the likelihood of injury as well in the present case and the same are relied upon.

ii. Imports made into the domestic market have been made at dumped prices despite imposition of anti-dumping duty.

iii. Producers from subject country with significant disposable capacity *** with low domestic demand and an export intensity more than 90% of their production establishes that in the event of revocation of duties, exports to India may intensify.

iv. The exporters from subject country are exporting the product under consideration to third country also at dumped prices.

v. Both dumping margin and injury margin in case of exports from Russia to third countries is also positive.

vi. Both dumping margin and injury margin in the current POI are positive and high in case of subject country.

vii. The price undercutting without prevailing anti-dumping duties is positive.

viii. The import prices are materially below selling price of the domestic industry. The consumers may therefore switch to imported product in the event of cessation of anti-dumping duty which may lead to increase in imports of the product.

ix. The domestic industry is already suffering price depression due to dumped import prices which are even below cost of sales of the domestic industry. In case of cessation of anti-dumping duty, the domestic industry may have to reduce their selling price to compete with dumped imports, driving it even below the cost of sales; leading to price injury.

Submissions made by the exporters, importers and Other Interested Parties

69. M/s. GIPL has stated that in case of cessation of anti dumping duty, the local market won't be flooded with Russian imports because there are limited users of PTFE in domestic industry.

Examination by the Authority

70. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods from Russia. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of antidumping duty is warranted. The Authority has examined that the duty imposed has served the intended purpose of eliminating the injurious effect of dumping as imposition of anti- dumping duty in the period of investigation requested in NSR is higher than NIP.

71. The Authority notes that in the present investigation, there is continued dumping of the subject goods from Russia causing continued injury to the domestic industry, which indicates likelihood of dumping and injury from these subject country. In view of the above position and due to favorable market conditions prevailing in the Indian market as far as demand and price for the subject goods are concerned, the Authority

holds that in the event of revocation/cessation of anti-dumping duties, dumping may increase from Russia. The following analysis has been undertaken on likelihood of continuation/ intensification of dumping and injury to the domestic industry in the event of revocation of anti-dumping duties.

The Authority notes that M/s OAO HaloPolymer, Russian Federation, a responding producer/ exporter is the sole producer of the subject goods in the POI whose *** of the production is exported and only *** is sold in the domestic market. Therefore, in view of low domestic demand of PTFE in Russia and consequent high export intensity coupled with positive dumping and injury margin is a strong indicator of continued dumping and injury in the event of withdrawal of existing anti dumping duty.

I. Dumping Margin determined in previous investigations

72. The Authority has conducted three investigations in respect of Russia. All the investigations have established existence of significant dumping. The dumping margin determined for the current investigation period is also substantial. This establishes that dumping is likely to continue in the event of cessation of anti-dumping duty. The dumping margin with respect to the subject country in the previous investigations was also substantial.

II. Volume of imports between original period and subsequent periods

73. An analysis of the volume of exports reported in the previous cases as well as in the current period shows that the volume of imports in case of subject country has remained significant despite imposition of anti-dumping duty. There appears to be a strong probability that the volume would increase in the event of revocation of anti-dumping duty. The Authority notes that despite high ROI in the POI with since imports are at a noticeable level in POI holds that cessation of anti- dumping duty will create a margin for infliction of injury to an extent of injury margin as determined during the POI.

III. Freely disposable present and potential capacities and export tendencies of foreign producers

74. The Authority notes that the subject foreign producers are holding huge surplus production capacity, of almost *** MT (***%)

IV. Price attractiveness of the Indian market

75. The Authority notes that the prices at which subject goods are being imported are lower than the price at which the goods are being sold in the Indian market. Therefore, in case of expiry of anti- dumping duty, exports from subject country would further channelize their output in the Indian market in view of the significant capacity with them. This indicates likelihood of possible injury to the domestic industry as imports from subject country are likely to undercut the prices of the Domestic Industry in the event of cessation of anti-dumping duty and force the Domestic Industry to reduce its prices further.

V. Vulnerability of Domestic Industry in terms of price sensitivity of the product and the Indian market

76. The Authority notes that the Indian market is quite price sensitive. The consumers decide their procurement, with price being one of the important considerations. The responding importer has also submitted that price is an important parameter in procurement of goods. The import of low price imports and consequential price under cutting on prices of domestic procurement of subject goods by the cooperating importer is also noted. Therefore, availability of low priced imports from the subject country in the market could cause an adverse impact on the domestic industry. The continued long term dumping practice by the subject country, the facts of the present case, and considering the above discussed current dumping and injury and likelihood of dumping and injury parameters, it is felt that the dumping and consequent injury to the domestic industry is likely to continue and may increase in the event of cessation of anti-dumping duty.

77. The Authority also notes that in the instant case, intensified dumping of the product under consideration has caused injury to the domestic industry. The current import volumes and a huge dumping margin from the subject country, enhances possibility that expiry of anti- dumping duty may result in intensified dumping of subject goods from the subject country in the Indian market given the fact that subject country holds capacities beyond domestic demand. It is also noted that present anti-dumping duties are acting as a restraint, cessation of which may lead to the Indian market being catered by increased imports of the subject goods manufactured by the producers of subject country.

VI. Price undercutting in the absence of measures

78. The Authority notes that the dumped imports from subject country would cause price undercutting in the absence of anti-dumping duty and if the present anti-dumping duty be ceased, there is a likelihood that price undercutting may deepen.

79. The injury analysis made by the Authority by and large addresses the various submissions made by the interested parties. However, the specific submissions made by the interested parties, and considered relevant, are addressed by the Authority as below:

a. As regards submission of the other interested parties concerning the existence of anti-dumping duties since long, the Authority notes that the quantum of anti-dumping duty in the in earlier investigations were limited only to injury redressal due to dumping in accordance with the lesser duty rule.

b. The Authority further notes that it has considered and recommended extension of anti-dumping duty in sunset reviews in the past wherever the domestic industry concerned made application and justified the same. In the facts pertaining to the present case, the Authority holds that there is an evidence of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty. The Authority further notes that there have been numerous cases globally, especially USA which has imposed anti-dumping duty and where fourth sunset reviews were scheduled and the anti-dumping duties have been in operation in USA for much longer period. The quantum of dumping and injury evaluated in the present SSR is based on verified data and a methodology at a fair level of comparison.

c. As regards submission of the other interested parties concerning the capacity expansion of the domestic industry, the Authority notes that it is not limited to the domestic market only. As submitted by Gujarat Fluorochemicals Ltd., the domestic industry is having significant exports for the PUC. The Authority also notes that it is concerned with the price at which the dumped imports in the Country.

d. As regards submission of the other interested parties concerning the insignificant share (4.5% of domestic demand) of exports by Russian exporters in the Indian demand, the Authority notes that the exports from the Russian at about 5% of Indian demand at the stage of sunset review is significant enough. At the stage of sunset review, it is not the volume of import, but the price of import that is relevant for the likelihood analysis.

e. As regards submission of the other interested parties concerning decline in exports performance of the Domestic Industry during period of investigation, the Authority has examined the injury exclusively for domestic sales.

M. <u>Comments of Various interested parties to the Disclosure Statement</u>

80. **<u>Product under consideration, like article and Domestic Industry standing</u>-**

Domestic industry reiterates all the fact, contentions, averment and statements presented in the previous submissions filed before the Designated Authority and requests that such submissions be deemed to be incorporated herein. Domestic industry has following submissions.

- The scope of the product under consideration continues to be the same as was considered by the Designated Authority in the original investigation. However, with regard to the methodology of comparison of different types of the product under consideration, the Authority has undertaken a comparison on grade to grade basis.

- The production of Gujarat Fluorochemicals Ltd, the petitioner, constitutes a major proportion in the Indian production, the Authority has therefore considered Gujarat Fluorochemicals Ltd. as the domestic industry herein.

- The petitioner constitutes domestic industry within the meaning of the term as per the AD Rules.

81. **<u>Dumping</u>**

- While determining the normal value for all producers/exporters in Russia, the Authority correlates the claim on cost of production by OAO HaloPolymer with the claims made by the domestic industry and construct the normal value. The cost of production provided by the producer captures all costs and by adopting the cost of production along with 5% profit on the cost of production claimed.

➢ The product under consideration continues to enter the Indian market, from Russia, at dumped prices. Further, the dumping margin from subject country is far more than de-minimus rather quite substantial.

➢ As per evidence of dumping, the submissions of the Directorate General on this regard are not in conformity with provisions of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade (hereafter the Anti-Dumping Agreement), in particular on the following grounds:

➢ The normal value of the product under consideration was constructed based on a surrogate method using the data of Indian producers, which appears to be not in conformity with provisions of Article 2 of the Anti-Dumping Agreement.

*** Calculation of a dumping margin**

➢ The normal value of the product under consideration was constructed based on the cost of production of like products in India. Although such an approach (i.e. constructed value) generally does not contradict the WTO rules and norms, the usage of such methodology is justified only in several occasions. As the panel held in US — Oil Country Tubular Goods, the concept of dumping is, in the first instance, a comparison of export prices and a home market. When such prices do not permit a proper comparison, the value shall be determined by comparison with a comparable price of the like product when exported to a third country, provided that this price is representative, or with the cost of production in the country of origin plus a reasonable amount for

➢ Administrative, selling and general costs and profits. Thus, the Directorate General obviously erred by using the cost of production of like products in India and not the cost of production in Russia (country of origin).

➢ As per low level of home market sales of the product under consideration, the level of home market sales is sufficient if home market sales constitute at least 5% of the export sales in the country conducting the investigation. The Directorate General failed to submit evidence that there is no home market sale of the product under consideration or sales level is below 5% grade.

➢ In addition to the abovementioned, the Directorate General failed to submit the methodology of calculation of the normal value of the product under consideration. In particular, no information was submitted regarding manufacturing expenses used while calculating the normal value of the product. Thus, the dumping margin was calculated in violation of provisions of Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement.

➢ Based on the abovementioned submissions, the findings (para 63 of the Disclosure Statement) regarding the size of the dumping margin of the product under consideration appears to be not in conformity with Article 2 of the Anti-Dumping Agreement.

82. **Injury/Causal Link**

➢ In response to the Authority's observation that even though the imports are under the advance license route the Authority considers this as an opportunity loss of possible sales of Domestic Industry who could have sold an equivalent grade of subject goods to the importer, it is submitted that the Russian PTFE procured against advance licenses was not sold or intended to be sold in the domestic market. Hence, there is no possibility of the same causing an opportunity loss to the Domestic Industry. As earlier submitted, the possibility of procuring the equivalent grade from Domestic Industry is ruled out due to quality and uniformity issues and preferences of the end consumers.

➢ It is relevant to note that other than the data made available by GIPL, there is not much information which has been furnished by other stakeholders and hence the quantitative causal link projected by the Domestic Industry is merely speculative.

➢ The following fundamental issues to substantiate discontinuation of imposition of ADD are reiterated :

- that the anti-dumping protections often come at a substantial cost to the end consumers;
- the ADD imposition protects the Domestic Industry at the expense of consumers, which results in higher prices, lower quality products and thereby lessening the consumer choices;
- from the point of view of economics, there is no reason to support any anti-dumping law, since price differentiation across markets is a legitimate and a perfectly rational, sensible and legitimate profit-maximization action; and

- there is no justification for condemning certain export prices simply because they happen to be lower than prices in other markets whereas the domestic price discrimination i.e., differences in pricing between one country's domestic regional markets, normally is not penalized.

- In the United States of America, as referred to in the Disclosure Statement, the number of ADD initiations have a declining trend since 1993. Moreover, India has filed roughly 20% of all global Antidumping cases, quite disproportionate to its share of global imports of 2%.

- It appears that the Directorate General while performing the injury analysis failed to examine all relevant economic data and factors regarding the state of the domestic industry of India (hereafter – domestic industry), which violates provisions of Article 3 of the Anti-Dumping Agreement.

- Lastly, the Directorate General failed to establish in a manner eliminating any reasonable doubt a persuasive causal link between the alleged injury to the domestic industry and the imports of the product under consideration. On a contrary, the conclusion that such causal link exists was made based on insufficient poorly founded evidence.

➢ While performing injury analysis with respect to the domestic industry, the Directorate General failed to address data and submissions reflecting the positive development of the domestic industry, which violates provisions of Article 3 of the Anti-Dumping Agreement.

➢ As the Panel in *Thailand — H-Beams* while examining the provisions of Article 3.4 of the Anti-Dumping Agreement held that 'positive movements in a number of factors would require a compelling explanation of why and how, in light of such apparent positive trends, the domestic industry was, or remained, injured within the meaning of the Agreement. […] such a situation would require a thorough and persuasive explanation as to whether and how such positive movements were outweighed by any other factors and indices which might be moving in a negative direction during the investigation period'.

➢ In accordance with submissions of the Directorate General, the following factors, in particular, are indicating the positive development of the domestic industry during the period from 2011 to the POI (October 2013 – September 2014):

➢ Increase in sales of domestic producers on the domestic market by 73%.

➢ Increase in sales of domestic industry on the domestic market by 179 index points.

➢ Increase in production capacity of the domestic industry by 35 index points in 2013-14.

➢ Meanwhile, despite various positive trends in development of the domestic industry, the Directorate General in violation of the provisions of Article 3.4 of the Anti-Dumping Agreement failed to submit thorough and persuasive explanation as to how such positive trends were outweighed by negative factors.

➢ The Directorate General wrongly concluded that there is no change in the structure of consumption as the share of Indian producers in a domestic consumption increased during the POI by 11 index points up to 54%. Hence, it appears that the Directorate General failed to comply with Article 3 of the Anti-Dumping Agreement while establishing the injury to the domestic industry.

➢ In violation of the provisions of Article 3.5 of the Anti-Dumping Agreement, the Directorate General failed to present a comprehensive and sufficient analysis of the export data of Indian producers of the like product.

➢ The alleged material damage to the domestic industry may be caused by export activities of Indian producers.

➢ In particular, the Directorate General has failed to address the data indicating that, in comparison with the period of the first investigation, imports of the product under consideration decreased by 30-37% during the period under consideration.

➢ Paras 64-65 of the Disclosure Statement, surely cannot be considered as sufficient in order to establish a clear causal link between the imports of the product under consideration and alleged material damage to the domestic industry.

➢ In particular, the Directorate General compared import prices of the product under consideration with import prices of like products originating from USA and EU. Such methodology cannot be regarded as accurate and appropriate, since the Directorate General obviously failed to calculate actual costs associated

with the manufacturing of the product. No another reasonable methods for determining the import prices were used as well as no competitive advantages of Russian economics, such as geographical location or cost price of raw materials, were taken into account while performing review.

➢ The insignificant increase by 3.8% of the import of the product under consideration in consumption in India hardly could cause any negative impact on the domestic industry. In particular, the Ministry notes that the share of consumption of the like product originated in India on the domestic market increased by 54.1%.

- The present sunset review as regard to PTFE was initiated by Gujarat Fluoro chemicals Ltd. (the Petitioner). Guarniflon India Pvt. Ltd. (hereafter – GIPL), the major procurer of PTFE from the Petitioner, during 2013- 2015, procured PTFE from Russian manufacturer OAO Halo Polymer as well. During sunset review, GIPL submitted the following information as regard the quality of the PTFE (para 14). According to GIPL, OAO Halo Polymer's plant is a relatively old plant with a stabilized process of manufacturing of PTFE. Their PTFE is consistent in terms of quality, while the Petitioner's product is much more inconsistent in quality. Besides, PTFE GIPL procured from OAO Halo Polymer is of a particular grade 4RB, which, according to GIPL, on account of inconsistencies is perceived to be of better quality. Thus, the Petitioner may lose profit not because of alleged dumped imports from Russia, but as a result of a worse quality product. It appears that the Directorate General failed to address this information. The imports from Russia constitutes considerable share of the Indian demand which is significant at the stage of sunset review and for a likelihood analysis.
- Imports of the product under consideration from subject country have increased in absolute terms in recent period.
- The market share of the domestic industry as well as that of the Russian imports have increased over the injury period.
- The landed price of imports from the subject country is undercutting the domestic selling price.
- The imports have led to depressing and suppressing effect on the prices of the domestic industry in the market.
- The landed price of imports of product under consideration is materially below the NIP of the domestic industry, thus resulting in significant injury margin.

➢ There is likelihood of dumping and consequent injury in the event of the cessation of present anti-dumping

83. The petitioner has stated that the anti-dumping duty can be extended so long as the investigation establishes that the dumping and consequent injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of anti-dumping duty.

- duties.

➢ Petitioner submits that it would not be appropriate to restrict determination of injury margin by considering the imported grade and grade 610 supplied by domestic industry. The product type has been imported by M/s Guarniflon India Pvt. Ltd. (GIPL) who is interchangeably using the grades being supplied by domestic industry. Since this company is interchangeably using these grades of Domestic Industry, petitioner submits that these grades should be considered as like article to the product imported by the company. While it may be appropriate for the purpose of dumping margin that only relevant grades are considered, as far as injury margin is concerned, the Designated Authority is required to consider like article in India. It is submitted in this regard that the methodology of dumping margin depends on grade produced and supplied by the petitioner in the home market and exported to India. However, as far as the injury margin is concerned, the Authority is required to consider the grades exported by petitioner and all like grades of the product produced by the domestic industry. The like article offered by the petitioner includes following grades and therefore it would be necessary to consider these for the purpose of injury margin determination. As far as dumping margin determination is concerned, petitioner does not have any concern about the present methodology in this regard.

84. NIP determination - captive inputs considered at cost of production and yet 22% return on captive inputs not added

➢ **Captive inputs are valued at cost of production** - Petitioner submits that all captive inputs have been valued at cost of production. A statement showing cost of production of each of the captive input, showing therein sale and captive transfer of the input is enclosed with these submissions. It would be seen that each and every captive input is at cost of production.

While reviewing the NIP determined by the Authority, petitioner finds that the Authority has not added 22% return on the captive inputs produced and consumed by the petitioner for production of product under consideration. Following are relevant in this regard.

Since power, AHF, Chlorine, Chloroform, R-22, TFE are all captive inputs produced by the petitioner, and that these captive inputs have been transferred to next product at cost of production; petitioner submits that the NIP is required to be determined after adding 22% return on these captive inputs.

➢ **DGAD appears to have considered that captive inputs are valued at market value and has not added 22% return in captive inputs for this reason** - It appears that DGAD has considered that captive inputs have been valued at market value. The fact is however that all the captive inputs have been valued at cost of production. A statement showing cost of production of various captive inputs are enclosed with these submissions, clearly identifying therein volume and value of captive input and sales (if any). It is evident that all the captive inputs have been valued by the company at their respective cost of production. If captive inputs are transferred at cost of production, the Authority adds 22% return on the capital employed for assets utilized for producing such inputs. We request the Designated Authority to consider the fact that all the captive inputs have been valued at cost of production and 22% return on all captive inputs is required to be added. It is also noteworthy that it is the consistent practice of the Designated Authority to allow the same if the captive inputs are transferred at cost of production.

Petitioner further submits that the Designated Authority has filed repeated affidavits before Delhi High Court in NIP writ petitions. DA has also in Trade Notice 01/2015 analyzed this aspect, While Indian producers in different commodities have contended before Delhi High Court that (i) the NIP law itself is contrary to the Rules and therefore must be repealed, (ii) the interpretations being drawn by the DGAD from the NIP law in different cases are inconsistent with the law, and DGAD has filed unambiguous replies in these writ petitions fully supporting the NIP law and stating that the Directorate invariably adds return on capital employed in captive inputs.

The replies filed by Designated Authority before the Delhi High Court in the following writ petitions wherein the NIP law has been challenged "as such" and "as applied" are also relevant in this regard. A complete copy of reply in Thirumalai Chemicals Ltd. case and a copy of relevant extracts from other cases are enclosed with these submissions. It may kindly be noted that these are merely illustrative. There are a number of other writ petitions on NIP, which have been bunched and are now being heard together. The Designated Authority has stated in these affidavits that if captively produced inputs are transferred at a rate based on cost of production, then Designated Authority **adds** reasonable returns on capital employed in production of captively produced inputs in addition to their cost of production.

➢ Alkali Manufacturers Association of India vs. Union of India & Anr.

➢ Phillips Carbon Black Ltd. & Anr vs. The Secretary Revenue & Anr.

➢ Thirumalai Chemicals Ltd. & Anr vs. Union of India & Anr.

The minutes of meeting notified by the DGAD consequent to the meeting convened by the Designated Authority on 29.12.2015 to discuss the suggestions/ comments received from various interested parties for amending provisions of Annexure III of Antidumping Rules was chaired by the Designated Authority and attended by all the officers of DGAD. Consultant (GR) was also present in the meeting. These Minutes of Meeting were communicated by the DGAD vide email dated 20th Jan., 2016 wherein the Authority has stated that if domestic industry accounts for the captively produced inputs at cost of production, an additional return @ 22% on capital employed for assets utilized for producing such inputs is also added.

➢ **Directorate established practice is to add 22% return on captive inputs**

It is thus established that it is established practice of the Directorate to add 22% return on captive inputs. The Designated Authority may not kindly penalize the domestic industry and determine NIP without adding 22% return on assets utilized in captive inputs.

Petitioner submits, as an objective and unbiased investigating Authority, the scheme of the Rules is such that the Designated Authority is required to call relevant information and determine NIP. If the same requires addition of 22% return on assets utilized in captive inputs, the same is required to be added.

- Addition of 22% return on captive inputs costs seems to have been ignored on the basis of incorrect presumption that the captive inputs are valued at selling price - It appears that 22% return has not been added to the captive inputs costs presumably on the basis of incorrect presumption that the captive inputs are valued at selling price. However, as the enclosed statements clearly show, all captive inputs are valued at their cost of production. The information on record of the case also clearly shows that the captive inputs have been valued at their cost of production.

- All relevant information is already on the record of the Authority

85. Need for extension of existing anti-dumping duties - Petitioner submits that the Authority may kindly consider extension of existing anti-dumping duties. It is not a fit case for modification of duty for the reasons that (i) rouble has very steeply depreciated after the POI, (ii) the import prices have significantly declined in the present period (after the POI), (iii) whereas only one grade of the product was being imported in POI, another grade at much lower price is being imported in post POI period, (iv) dumping margin and injury margin has increased after the investigation period, (vi) the exporters have contended that the present import volumes are not significant.

A statement of imports from Russia over the injury period and upto Dec., 2015 shows that whereas only 4 RB grade was imported during POI, 4 PN grade was being imported before POI and after the POI. Further, it would be seen that 4 PN grade has been imported at a price materially lower that 4 RB grade. 4 PN grade is comparable to 610 of the petitioner. Thus dumping margin and injury margin in imports of 4 PN grade are materially higher than the dumping margin and injury margin determined for 4 RB grade. For this reason also, it would be appropriate to extend existing quantum of anti-dumping duty.

86. Intensified dumping & injury in post POI period - Petitioner submits that the dumping of product under consideration has significantly intensified from Russia. A statement of imports showing imports along with import listing for the period upto Dec., 2015 is enclosed with these submissions. The table and graph below shows the month by month import price from Russia. It would be seen that there is steep deterioration in the import price in the most recent period.

Unit in Rs per Kg

Months	All Grades	4RB Grade	4 PN Grade
Nov-13	373.23	373.23	-
Dec-13	373.98	373.98	-
Aug-14	403.52	403.52	-
Total Oct'13-Sep'14 (POI)	**385.40**	**385.40**	**-**
Nov-14	411.43	411.43	-
Dec-14	374.70	376.88	362.50
Mar-15	358.82	358.82	-
Total Oct'14-Mar'15	**379.05**	**379.94**	**362.50**
Apr-15	333.64	333.64	-
May-15	333.64	333.64	-
Jul-15	331.56	340.53	314.83
Oct-15	324.14	-	324.14
Total Apr'15-Dec'15	**331.82**	**335.60**	**319.48**

* **Absence of imports of all the grades during POI** - petitioner submits that only one grade of the product under consideration has been exported to India during the present POI. Further, exporter has exported other grades as well. Therefore, anti-dumping duties imposed based on one grade shall not appropriately protect the domestic industry.

* **Past cases of the Designated Authority** - the Designated Authority has in the past extended same quantum of anti-dumping duties. Petitioner refers to the final findings relating to front axle beam wherein the Designated Authority has extended the same quantum of anti-dumping duties.

* **Significant deprecation of Rouble** - Rouble has depreciated very significantly after the POI. Therefore, while the exporter can afford to export at the same price, the imports shall occur at much lower prices. Resultantly, the injury margin has intensified after the POI due to significant depreciation of rouble.

* **Form of duty**

Domestic industry submits that anti-dumping duty may be extended in existing form to avoid circumvention and also that it is administered effectively by customs.

87. EXAMINATION BY AUTHORITY

The Authority notes the post disclosure submissions regarding evaluation of dumping margin and reiterates that the normal value constructed for the grades of the subject goods exported to India during POI is based on information provided by the responding producer/exporter of Russia which has further been correlated by the information provided by the petitioner. Since the specific grade exported to India was not sold in the domestic market by the responding producer/exporter of Russia, the constructed Normal Value based on the cost of production of the exported grade has been referenced as stated above.

As regards injury assessment, the Authority has assessed all relevant injury parameters and has noted that the grade exported during POI has led to price undercutting. As regards the aspect of quality of the subject goods produced by Domestic Industry and those imported from Russia, the Authority holds that comparison has been done for prices of similar grades and in case quality of subject goods imported from Russia was higher, it would not have led to price undercutting as it would have fetched higher price. The Authority notes that the importer of the subject goods from Russia has also sourced goods from the domestic market for sales in India. These subject goods could also have been made available by the domestic industry to the importer for using as raw material for their export products under the India's foreign trade policy's deemed exports scheme.

As regards the claim of the company requesting return on assets deployed for the production of captive inputs at Ranjit Nagar, the company was asked to substantiate its claim with reference to Rule 8 of Central Excise Valuation Rules, 2000 and CAS 4 governing the transfer value of captive excisable inputs from one unit to another unit. The information furnished by the company establishes that an element of profit has already been built into the consumption price of R 22 (input transferred from Ranjit Nagar plant to Dahej plant) and which has already been considered in the calculation of NIP. Thus, reasonable return on capital employed for the production of inputs at Ranjit Nagar Unit of the company has already been claimed in the form of profit and therefore, the claim of the company on this account is not tenable.

The Authority notes that even though the present Sunset Review is the 3rd Sunset Review but the subject goods are still being exported by the Subject Country at dumped prices and at a fair level of comparison i.e. grade to grade, a positive price undercutting has been noted which has led to price injury to Domestic Industry. As per the Anti-Dumping Rules, there is no bar/limit on the number of Sunset Review and tenure of continued Anti-Dumping measures. However, to ensure that the Anti-Dumping duty quantum is fair, an appropriate comparison of equivalent grades of the subject goods has been undertaken during POI.

As regards Domestic Industry's contention that in post POI another grade equivalent to 610 has been exported, the Authority holds that while comparison is undertaken at grade to grade level in the POI as per its consistent practice, the scope of the PUC is not limited to this grade only. The quantum of injury assessed is being applied across all grades to ensure redressal due to dumping based on actual working of injury margin in POI. In case of any change in the dumping patterns by way of intensification, any interested party could come forward for a review at a later date.

As regards Domestic Industry's contention to continue Anti-Dumping Duty at existing level, the Authority holds that the Subject Goods are quite price sensitive and that in any period of investigation if the export prices vary, then even the normal value and NIP would also undergo a change. The window of POI chosen in a review comprehensively evaluates all parameters and therefore the margins of dumping and injury are factual capturing all price volatile parameters making them fair and realistic. Further the Authority notes that the Dumping Margin is extremely significant and the price undercutting is positive which in post POI is also noted to be positive.

The Authority has evaluated likely injury in Post POI period on account of imports in India and in event of likely diversion of imports from Russia to third countries to India in POI and Post POI. The injury margin is though lower but continues to be positive justifying the need of ADD imposition at a level as determined during the POI. The Authority holds that imposition of Anti-Dumping at a level of lower of the dumping or

injury margin as per lesser duty rule evaluated during POI would ensure injury redressal to the Domestic Industry on account of dumping of the Subject Goods from the Subject Country.

CONCLUSIONS

88. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this finding and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

i. There is continued dumping of the product concerned from Russia, both in absolute terms and in relation to production/consumption in India causing injury to the domestic industry.

ii. Imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry. Further, imports are suppressing and depressing the domestic prices.

iii. The performance of the Domestic Industry has deteriorated in terms of profits, return on investments, cash flow and inventories.

iv. The dumped imports from Russia continue to cause injury to the domestic industry.

v. Dumping of the product under consideration from Russia is likely to continue/intensify should the antidumping duty be revoked.

RECOMMENDATIONS

89. Having concluded as above, the Authority is of the view that the anti-dumping measures are required to be extended in respect of Russia as specified in the duty table below. Therefore, Authority considers it necessary to recommend continued imposition of definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from Russia in the form and manner as described in the duty table given below.

90. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, on the imports of the subject goods, originating in or exported from Russia so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col. 9 of the table below is recommended to be imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from Russia.

DUTY TABLE

S. No.	Sub-heading	Description	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	3904 61	Polytetrafluoro-ethylene (PTFE)	Any	Russia	Russia	Any	Any	739.77	MT	US$
2.	3904 61	Polytetrafluoro-ethylene (PTFE)	Any	Russia	Any	Any	Any	739.77	MT	US$
3.	3904 61	Polytetrafluoro-ethylene (PTFE)	Any	Any except China PR	Russia	Any	Any	739.77	MT	US$

91. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.